"वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए राज्य विद्युत संस्थाओं के निष्पादन" पर रिपोर्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

विषय सूची

प्रस्तावना	पृष्ठ
कार्यकारी सारांश	**i**
वित्तीय निष्पादन के मुख्य अंश	**iii**
भौतिक पैरामीटरों के निष्पादन के मुख्य अंश	**xi**
उपभोग पैटर्न के मुख्य अंश	**xii**

खंड क

प्रस्तावना

1. पृष्ठभूमि **xiv**
1.0. आर-एपीडीआरपी **xiv**
2.0 यूएमपीपी **xvii**

खंड ख

प्रणाली विज्ञान तथा सूचना की उपलब्धता की स्थिति

I. कार्यक्षेत्र एवं कवरेज **xx**
II. इनपुट **xx**
III. प्रचालन में परिवर्तन के संदर्भ में सूचना **xxi**
IV. प्रणाली विज्ञान **xxii**
सारणी I - वार्षिक लेखाओं की स्थिति **xxiii**
सारणी II - परिभाषाएं **xxvi**

खंड ग

अध्याय I वित्तीय पैरामीटरों पर निष्पादन

1.0 प्रस्तावना **1-i**
1.1 विद्युत की बिक्री से राजस्व **1-i**
1.2 यूटिलिटीज की आय, व्यय एवं लाभप्रदता **1-ii**

1.3 यूटिलिटीज का राज्यवार वित्तीय निष्पादन **1-iii**
1.4 निर्धारित एवं प्राप्त की गई सब्सिडी **1-viii**
1.5 एसीएस एवं एआरआर के बीच अंतर **1-viii**
1.6 व्यय का ब्यौरा **1-ix**

अध्याय 2 वित्तीय स्थिति
2.0 प्रस्तावना **2-i**
2.1 पूंजी संरचना **2-i**
2.2 निवल मूल्य **2-i**
2.3 उधार ली गई निधियां **2-ii**
2.4 निवल अचल परिसंपत्तियां तथा पूंजी डब्ल्यूआईपी **2-ii**
2.5 पूंजी व्यय **2-iii**
2.6 विद्युत की बिक्री के बदले में प्राप्य राशि **2-iii**
2.7 विद्युत के क्रय के लिए ऋणदाता **2-iv**

अध्याय 3 लाभप्रदता एवं पूंजी संरचना के अनुपात का विश्लेषण
3.0 प्रस्तावना **3-i**
3.1 इक्विटी पर प्रतिफल **3-i**
3.2 निवल मूल्य पर प्रतिफल **3-ii**
3.3 प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल **3-ii**
3.4 ऋण इक्विटी अनुपात **3-iii**

अध्याय 4 भौतिक पैरामीटरों पर निष्पादन

4.0 प्रस्तावना **4-i**
4.1 संस्थापित क्षमता **4-i**
4.2 उत्पादन **4-i**
4.3 विद्युत क्रय **4-ii**
4.4 विद्युत की बिक्री **4-ii**
4.5 सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षति **4-ii**

अध्याय 5 उपभोग के पैटर्न तथा राजस्व में अंशदान का विश्लेषण

5.0	प्रस्तावना	**5-i**
5.1	विद्युत की बिक्री	**5-i**
5.2	विश्लेषण में कवरेज	**5-ii**
5.3	कृषि उपभोक्ताओं को बिक्री	**5-ii**
5.4	औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री	**5-ii**
5.5	क्रॉस सब्सिडी	**5-iii**
5.6	उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार बिक्री	**5-iii**

अध्याय 6	**सुधारों तथा पुनर्गठन की स्थिति**	
6.0	प्रस्तावना	**6-i**
6.1	सुधारों की स्थिति	**6-i**
	सारणी III - सुधारों एवं पुनर्गठन की स्थिति	**6-ii**
	संक्षेपाक्षरों की सूची	

अनुबंधों की सूची - अध्याय 1
वित्तीय पैरामीटरों पर निष्पादन

क्र. सं.	विवरण	अनुबंध संख्या	पृष्ठ संख्या
1.	रुपए तथा मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा में विद्युत की बिक्री - राज्यवार	1.1.0	1
2.	निम्नलिखित के लिए आय, व्यय एवं लाभप्रदता उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज जेनको, ट्रांसको तथा ट्रेडिंग कंपनियां	1.2.1 से 1.2.3 1.3.1 से 1.3.3	2-7 8-10
3.	निम्नलिखित के लिए निर्धारित सब्सिडी, प्राप्त सब्सिडी, कुल राजस्व में निर्धारित सब्सिडी का प्रतिशत उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज जेनको, ट्रांसको तथा ट्रेडिंग कंपनियां	1.4.1 1.4.2	11-12 13
4.	लाभ एवं हानि का राज्यवार ब्यौरा सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में राज्यवार लाभ / (हानि)	1.5.1 से 1.5.3 1.5.4 से 1.5.6	14-16 21-23
5.	एसीएस, एआरआर तथा अंतर (रुपया / किलोवाट प्रतिघंटा) विच्छिन्न राज्यों के लिए राज्यवार अंतर (रुपया / प्रति किलोवाट)	1.6.1 से 1.6.3 1.6.4	24-26 35-36
6.	व्यय के ब्यौरे - सभी यूटिलिटीज	1.7.1 से 1.7.3	37-45
7.	लागत संरचना - सभी यूटिलिटीज	1.8.1 से 1.8.3	46-54

अनुबंधों की सूची
अध्याय II वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	विवरण	अनुबंध संख्या	पृष्ठ संख्या
1.	कुल प्रयुक्त पूंजी	2.1.0	59-60
2.	इक्विटी, रिजर्व, संचित लाभ / हानि तथा निवल मूल्य	2.2.0	61-62
3.	प्रयुक्त पूंजी का ब्यौरा	2.2.1 से 2.2.3	63-68
4.	निवल अचल परिसंपत्तियाँ	2.3.0	73-74
5.	पूंजी डब्ल्यूआईपी (करोड़ रुपए में)	2.4.0	75-76
6.	पूंजी व्यय (करोड़ रुपए में)	2.5.0	77-78
7.	विद्युत की बिक्री के लिए ऋणग्राही (करोड़ रुपए तथा दिनों की संख्या)		
	उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए	2.6.1	79-80
	जेनको, ट्रांसको तथा ट्रेडिंग कंपनियों के लिए	2.6.2	81
8.	विद्युत के क्रय के लिए ऋणकर्ता (करोड़ रुपए तथा दिनों की संख्या)		
	वितरण कंपनियों के लिए		
	उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली	2.7.1	82
	यूटिलिटीज के लिए	2.7.2	83-84

अनुबंधों की सूची - अध्याय 3

लाभप्रदता तथा पूंजी संरचना के अनुपात का विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	अनुबंध संख्या	पृष्ठ संख्या
1.	आरओआर, आरओई एवं आरओएनडब्लयू (निर्धारित सब्सिडी तथा प्राप्त सब्सिडी के आधार पर)	3.1.0	85-87
2.	प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)	3.2.0	88-90
3.	ऋण इक्विटी अनुपात	3.3.0	91-92

अनुबंधों की सूची - अध्याय 4
तकनीकी पैरामीटर

क्र. सं.	विवरण	अनुबंध संख्या	पृष्ठ संख्या
1.	कुल संस्थापित संख्या (मेगावाट में)	4.1.0	93
2.	संस्थापित क्षमता का ब्यौरा (मेगावाट में) थर्मल, हाइडिल, गैस, अन्य	4.1.1 से 4.1.3	94-96
3.	कुल उत्पादन (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा)	4.2.0	103
4.	उत्पादन का ब्यौरा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) थर्मल, हाइडिल, गैस, अन्य	4.2.1 से 4.2.3	104-106
5.	थर्मल उत्पादन (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) और पीएलएफ (प्रतिशत)	4.3.0	113
6.	सहायक उपभोग (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) और कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में बड़ी हाइडिल उत्पादन वाली यूटिलिटीज के लिए सहायक उपभोग	4.4.1 4.4.2	114 115
7.	निम्नलिखित द्वारा क्रय किया गया विद्युत (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत विभाग, जेनको, ट्रांसको तथा ट्रेडिंग कंपनियां वितरण कंपनियां	4.5.1 4.5.2	116 117
8.	उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए विद्युत क्रय (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा में)	4.6.0	118-119
9.	बिक्री के लिए उपलब्ध ऊर्जा तथा एटीएंडसी क्षति (प्रतिशत में) राज्य विद्युत बोर्डों तथा विद्युत विभागों के लिए वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली सभी यूटिलिटीज के लिए	4.7.1 4.7.2 4.7.3	120 121-122 123-124
10.	उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज द्वारा विद्युत की बिक्री	4.8.0	125-126

अनुबंधों की सूची - अध्याय 5
उपभोग के पैटर्न तथा राजस्व में अंशदान का विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	अनुबंध संख्या	पृष्ठ संख्या
1.	उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज द्वारा विद्युत की बिक्री (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा तथा रुपए में)	5.1.1	127-128
2.	उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार बिक्री का ब्यौरा बेची गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा में) बिक्री (करोड़ रुपए में) राजस्व (रुपया / किलोवाट प्रतिघंटा में)	 5.2.1 से 5.2.3 5.2.4 से 5.2.6 5.2.7 से 5.2.9	 129-134 135-140 141-146
3.	उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार बिक्री का ब्यौरा (प्रतिशत में) उपभोग का पैटर्न - वर्षवार राजस्व का ब्यौरा - वर्षवार	 5.3.1 से 5.3.3 5.3.4 से 5.3.6	 147-152 153-158
4.	कृषि एवं औद्योगिक उपभोग का ब्यौरा बेची गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा में) बिक्री (करोड़ रुपए में) राजस्व (रुपए / किलोवाट प्रतिघंटा में)	 5.4.1 5.4.2 5.4.3	 159-160 161-162 163-164
5.	कृषि एवं औद्योगिक उपभोग के लिए बिक्री का ब्यौरा (प्रतिशत में) कुल बिक्री में मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा का प्रतिशत कुल बिक्री में करोड़ रुपए का प्रतिशत	 5.5.1 5.6.1	 165-166 167-168

कार्यकारी सारांश

- इनपुट के रूप में प्रयुक्त दस्तावेजों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	सूचना का स्रोत (यूटिलिटीज की संख्या)			
	यूटिलिटीज की कुल संख्या*	लेखा परीक्षित लेखा	अनंतिम लेखा	संसाधन योजना
2010-11	91#	80	1	10
2011-12	91	77	4	10
2012-13	96^	72	11	13

*पुनर्गठन तथा सूचना की उपलब्धता के फलस्वरूप गठित नई यूटिलिटीज का ब्यौरा खंड ख - प्रणाली विज्ञान के पैरा 3 में दिया गया है।

एचपीएसईबी तथा टीएनईबी जिन्होंने वर्ष के कुछ भाग के लिए प्रचालन किया, शामिल नहीं हैं।

^ बीएसईबी जिसने वर्ष के कुछ भाग के लिए प्रचालन किया, शामिल नहीं है।

- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए सब्सिडी को छोड़कर कुल आय वर्ष 2011-12 में 2,67,560 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 3,17,557 करोड़ रुपए हो गई जो वर्ष 2012-13 में 18.69 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- इन यूटिलिटीज द्वारा बेची गई कुल ऊर्जा वर्ष 2011-12 में 6,24,951मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 6,57,629 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा हो गई जो वर्ष 2012-13 में 5.23 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज द्वारा निर्धारित कुल सब्सिडी पिछले वर्ष में 30009 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2012-13 36964 करोड़ रुपए हो गई। विद्युत की बिक्री से राजस्व के प्रतिशत के रूप में निर्धारित सब्सिडी वर्ष 2011-12 में 12.44 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 12.81 प्रतिशत हो गई।
- 2012-13 में राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सब्सिडी यूटिलिटीज द्वारा निर्धारित सब्सिडी का लगभग 98 प्रतिशत है। असम, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने अपनी अपनी वितरण कंपनियों द्वारा निर्धारित की गई लगभग संपूर्ण सब्सिडी जारी की हैं।
- सभी यूटिलिटीज के लिए सकल बही क्षति (प्रोद्भवन आधार पर) वर्ष 2010-11 में 52569 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 72381 करोड़ रुपए हो गई। तथापि, 2012-13 में बही क्षति घटकर 68,085 करोड़ रुपए हो गई।

- सभी यूटिलिटीज के लिए सकल क्षति (सब्सिडी के लिए लेखांकन के बगैर) 2010-11 में 75,297 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 1,02,411 करोड़ रुपए और 2012-13 में और बढ़कर 1,05,070 करोड़ रुपए हो गई।
- सभी यूटिलिटीज के लिए प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल क्षति 2010-11 में 54,953 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 76,633 करोड़ रुपए हो गई परंतु 2012-13 में घटकर 68,964 करोड़ रुपए हो गई।
- सकल राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) के अनुपात के रूप में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी में सभी यूटिलिटीज के लिए सकल बही क्षति वर्ष 2011-12 में 27.05 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 21.44 प्रतिशत हो गई। इसी तरह सकल राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल क्षति वर्ष 2011-12 में 28.64 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 21.72 प्रतिशत हो गई।
- सकल आधार पर 14 राज्यों में यूटिलिटीज ने पिछले वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में बही लाभ / बही क्षति में 26545 करोड़ रुपए की वृद्धि / कटौती का प्रदर्शन किया है।
- सकल आधार पर 15 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी में यूटिलिटीज ने पिछले वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2012-13 में बही क्षति / बही लाभ में 22249 करोड़ रुपए की वृद्धि / कमी का प्रदर्शन किया है।
- प्राप्त सब्सिडी के आधार पर अंतर 2010-11 में 0.68 रुपए / किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर 2011-12 में 0.94 रुपए / किलोवाट प्रतिघंटा हो गया परंतु 2012-13 में घटकर 0.83 रुपए / किलोवाट प्रतिघंटा हो गया।
- 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य 46169 करोड़ रुपए ऋणात्मक हो गया, जबकि 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार यह 858 करोड़ रुपए था। निवल मूल्य ऋणात्मक बना हुआ है तथा यूटिलिटीज को हुए नुकसान के कारण 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार यह घटकर 81369 करोड़ रुपए हो गया है।
- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए विद्युत की बिक्री (दिनों की संख्या) के लिए प्राप्य राशि 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 98 दिनों से घटकर 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 97 दिन हो गया।
- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए विद्युत के क्रय (दिनों की संख्या) के लिए देय राशि 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 148 दिनों से घटकर 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 119 दिन हो गया।
- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए समग्र एटीएंडसी क्षति (प्रतिशत) वर्ष 2011-12 में 26.63 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 25.38 प्रतिशत हो गई।

राज्य विद्युत यूटिलिटीज के वित्तीय एवं भौतिक निष्पादन 2012-13 पर मुख्य अंश

वित्तीय निष्पादन

राजस्व में वृद्धि

पिछले वर्ष में 16.01 प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध वर्ष 2012-13 में राज्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा की बिक्री से राजस्व में वृद्धि 19.66 प्रतिशत थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज की गई वृद्धि नीचे दी गई है :

करोड़ रुपए में

2010-11		2011-12		2012-13	
बिक्री	**वृद्धि (प्रतिशत में)**	**बिक्री**	**वृद्धि (प्रतिशत में)**	**बिक्री**	**वृद्धि (प्रतिशत में)**
2,07,927	19.89 प्रतिशत	2,41,217	16.01 प्रतिशत	2,88,632	19.66 प्रतिशत

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज (राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत विभाग, वितरण कंपनियां) का सकल टर्नओवर अर्थात विद्युत की बिक्री से राजस्व तथा अन्य आय (निर्धारित सब्सिडी को छोड़कर) वित्त वर्ष 2012 में 2,67,560 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2013 में 3,17,557 हो गई जो 18.69 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इन यूटिलिटीज के सकल व्यय ने वर्ष 2011-12 में 22.81 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 में 14.65 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2012-13 के दौरान लागत वसूली का स्तर 75.01 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष में यह 72.46 प्रतिशत था।

सकल बही क्षति - उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज

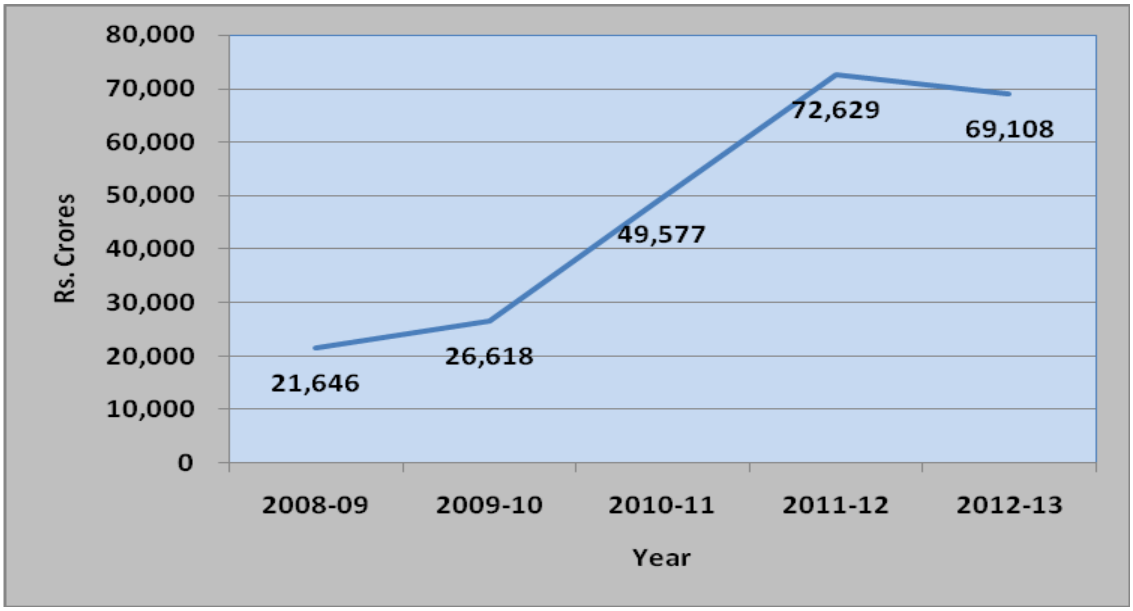
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Rs. Crores
21,646
26,618
49,577
72,629
69,108
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
Year

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए सकल बही क्षति वर्ष 2010-11 में 49,577 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 72,629 करोड़ रुपए हो गई परंतु वर्ष 2012-13 में घटकर 69,108 करोड़ रुपए हो गई।

प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल क्षति - उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज

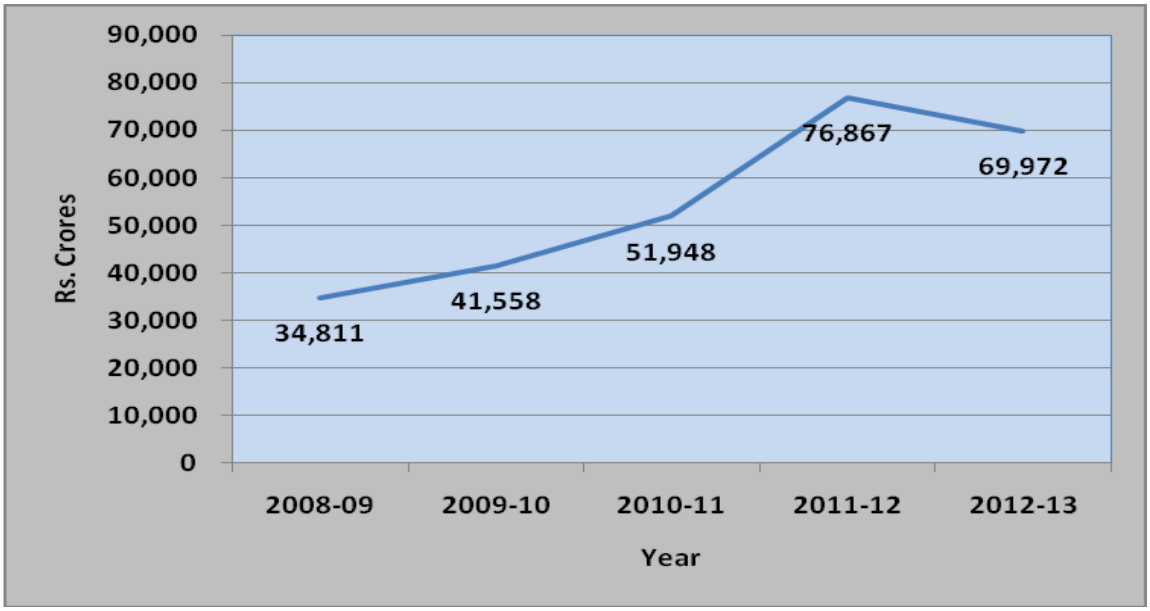

प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल क्षति वर्ष 2010-11 में 51,948 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 76,867 करोड़ रुपए हो गई परंतु 2012-13 में घटकर 69,972 करोड़ रुपए हो गई।

सकल बही क्षति - उत्पादन, पारेषण एवं ट्रेडिंग यूटिलिटीज

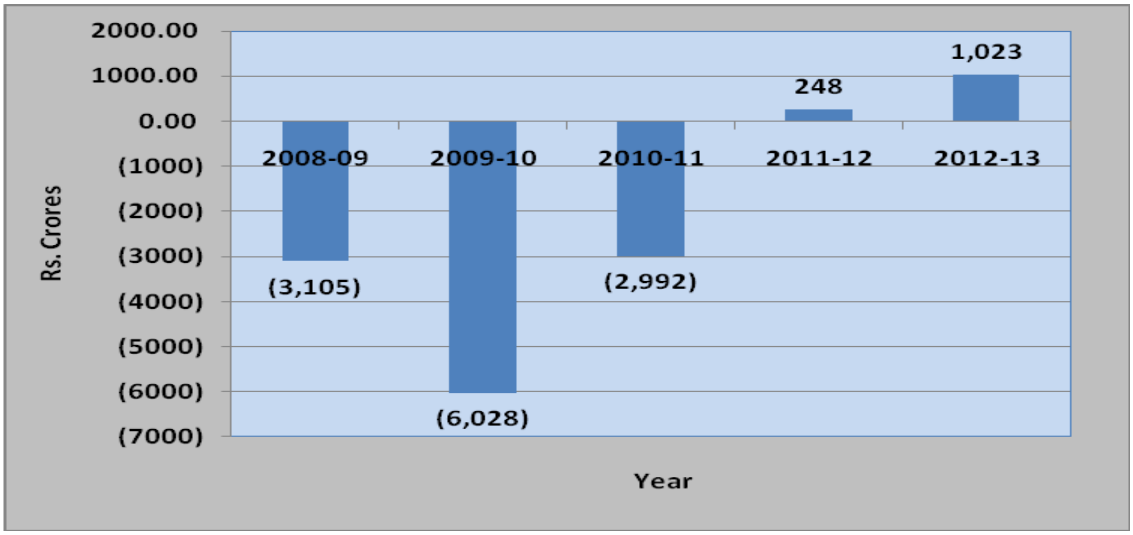
2000.00
1000.00
0.00
(1000)
(2000)
(3000)
(4000)
(5000)
(6000)
(7000)
Rs. Crores
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
(3,105)
(6,028)
(2,992)
248
1,023
Year

वर्ष 2010-11 में उत्पादन, पारेषण एवं ट्रेडिंग यूटिलिटीज को 2992 करोड़ रुपए की सकल बही क्षति हुई। तथापि, इन यूटिलिटीज में वर्ष 2011-12 में 248 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया तथा यह 2012-13 में बढ़कर 1023 करोड़ रुपए हो गया।

सकल बही क्षति - सभी यूटिलिटीज

सभी यूटिलिटीज के लिए बही क्षति (प्रोद्भवन आधार पर) वर्ष 2010-11 में 52,569 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 72,381 करोड़ रुपए हो गई परंतु 2012-13 में घटकर 68,085 करोड़ रुपए हो गई।

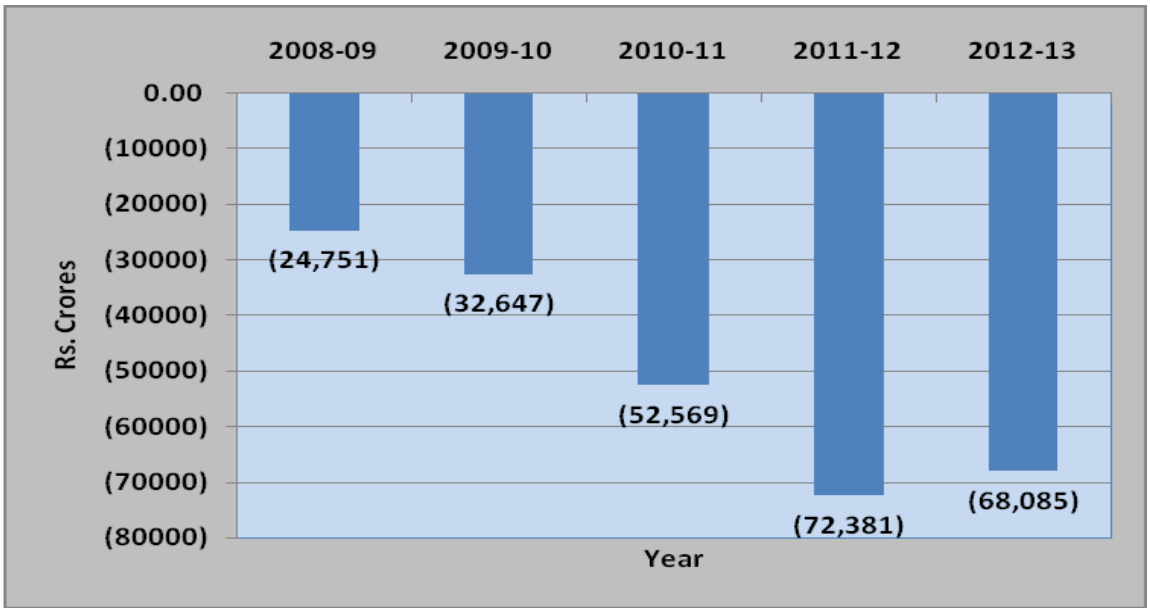

वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में बही लाभ में वृद्धि या बही क्षति में कटौती की दृष्टि से सारवान सुधार (100 करोड़ रुपए से अधिक) दर्शाने वाले राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं।

वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में अपने बही लाभ / क्षति में गिरावट (100 करोड़ रुपए अधिक) दर्शाने वाले राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुड्डुचेरी और मध्य प्रदेश शामिल हैं।

सकल क्षति (सब्सिडी के लिए लेखांकन के बगैर) - सभी यूटिलिटीज

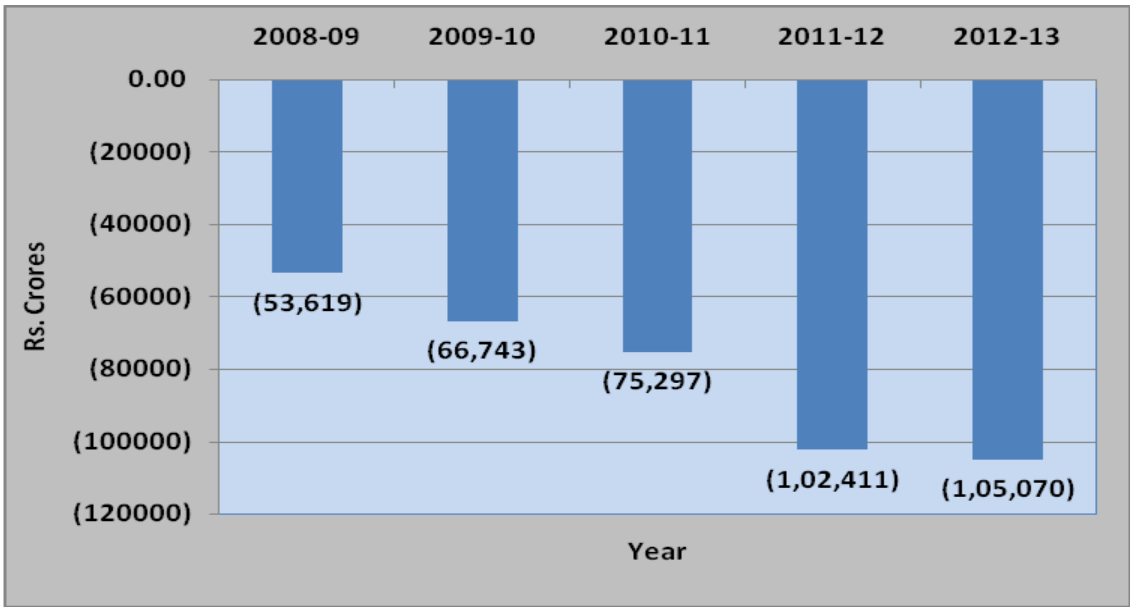

सभी यूटिलिटीज के लिए सकल क्षति (सब्सिडी के लिए लेखांकन के बगैर) वर्ष 2010-11 में 75,297 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 1,02,411 करोड़ रुपए और 2012-13 में 1,05,070 करोड़ रुपए हो गई।

वर्ष 2012-13 में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तराखंड, केरल और महाराष्ट्र ने लाभ (सब्सिडी के बगैर) अर्जित किया। वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में सब्सिडी के बगैर क्षति में सारवान कटौती दर्शाने वाले राज्यों में हरियाणा (7,587 करोड़ रुपए), राजस्थान (6859 करोड़ रुपए), झारखंड (1986 करोड़ रुपए) और छत्तीसगढ़ (1395 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

तथापि, सकल आधार पर यूटिलिटीज के लिए सब्सिडी पर विचार किए बगैर क्षति में काफी वृद्धि हुई है तथा यह आंध्र प्रदेश के मामले में 14759 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 2315 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश में 1927 करोड़ रुपए और कर्नाटक में 1830 करोड़ रुपए है।

सकल क्षति (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर) - सभी यूटिलिटीज

सभी यूटिलिटीज के लिए सकल आधार पर प्राप्त सब्सिडी के आधार पर क्षति 2010-11 में 54,953 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 76,633 करोड़ रुपए हो गई परंतु 2012-13 में घटकर 68,964 करोड़ रुपए हो गई।

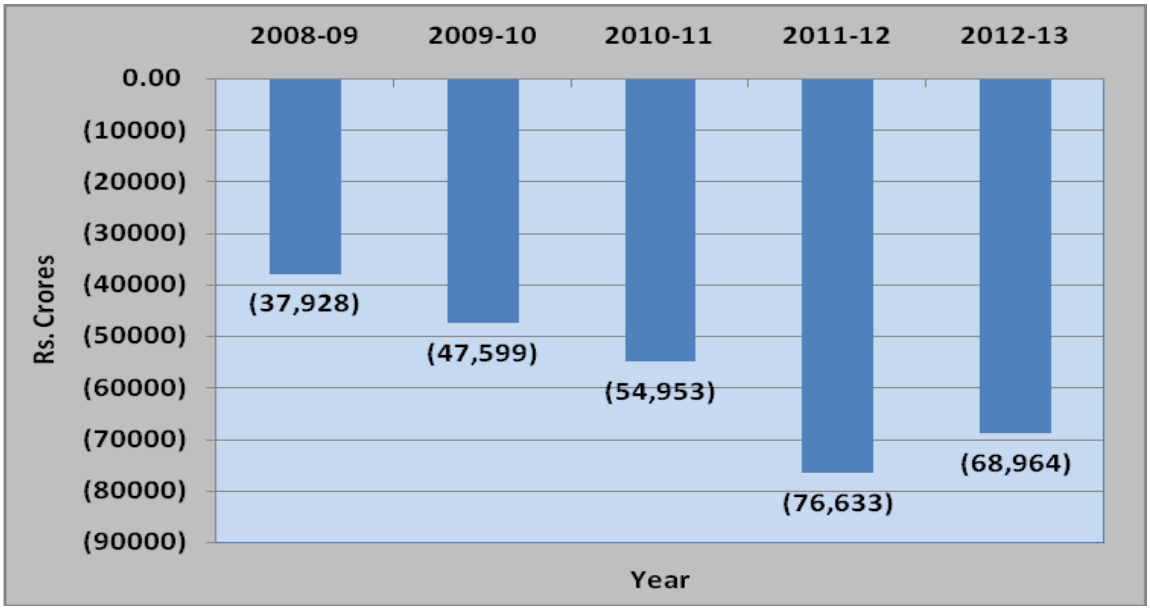

सकल राजस्व के अनुपात के रूप में लाभ - सभी यूटिलिटीज

सकल राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) के अनुपात के रूप में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी में सभी यूटिलिटीज के लिए सकल बही क्षति वर्ष 2010-11 में 22.93 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 27.05 प्रतिशत हो गई परंतु 2012-13 में सुधरकर 21.44 प्रतिशत हो गई। इसी तरह सकल राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल क्षति वर्ष 2010-11 में 23.97 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 28.64 प्रतिशत हो गई परंतु 2012-13 में सुधरकर 21.72 प्रतिशत हो गई।

काफी घाटे में चलने वाली यूटिलिटीज को छोड़कर इस सेक्टर की लाभप्रदता

यदि हम अकेले चल सकने योग्य आधार पर चुनिंदा राज्यों से संबंधित क्षति का विश्लेषण करें तो इस सेक्टर के निष्पादन का बेहतर परिप्रेक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तद्नुसार देखा गया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अन्य राज्यों की तुलना में प्रोद्भवन आधार पर उच्च स्तर की क्षति दर्ज की है। इन 4 राज्यों के लिए वर्ष 2012-13 में प्रोद्भवन आधार पर सकल क्षति 53746 करोड़ रुपए है। इसी तरह वर्ष 2012-13 में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल

क्षति 54160 करोड़ रुपए है।

करोड़ रुपए में

	2010-11		2011-12		2012-13	
	प्रोद्भवन आधार पर पीएटी / (हानि)	**प्राप्त सब्सिडी के आधार पर पीएटी / (हानि)**	**प्रोद्भवन आधार पर पीएटी / (हानि)**	**प्राप्त सब्सिडी के आधार पर पीएटी / (हानि)**	**प्रोद्भवन आधार पर पीएटी / (हानि)**	**प्राप्त सब्सिडी के आधार पर पीएटी / (हानि)**
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य	(11,017)	(11,184)	(27,887)	(28,078)	(14,338)	(14,804)
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु	(41,552)	(43,769)	(44,494)	(48,555)	(53,747)	(54,160)
कुल	**(52,569)**	**(54,953)**	**(72,381)**	**(76,633)**	**(68,085)**	**(68,964)**

सब्सिडी

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज द्वारा निर्धारित तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सब्सिडी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

करोड़ रुपए में

	2010-11	**2011-12**	**2012-13**
निर्धारित सब्सिडी	22,705	30,009	36,964
जारी की गई सब्सिडी	20,334	25,771	36,100

विद्युत की बिक्री से राजस्व के प्रतिशत के रूप में, यूटिलिटीज द्वारा निर्धारित सब्सिडी वर्ष 2010-11 में 10.92 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 12.44 प्रतिशत हो गई तथा 2012-13 में और बढ़कर 12.81 प्रतिशत हो गई। यूटिलिटीज द्वारा निर्धारित सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सब्सिडी वर्ष 2011-12 में 85.88 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 97.66 प्रतिशत हो गई। असम (0.00 प्रतिशत), पंजाब (95.38 प्रतिशत), कर्नाटक (96.91 प्रतिशत) और तमिलनाडु (91.37 प्रतिशत) को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने अपनी अपनी वितरण कंपनियों द्वारा निर्धारित की गई लगभग संपूर्ण सब्सिडी जारी

की हैं।

आपूर्ति की औसत लागत, औसत राजस्व तथा राजस्व अंतर

आपूर्ति की औसत लागत वर्ष 2010-11 में 3.98 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 4.55 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा और वर्ष 2012-13 में 5.01 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा हो गई। औसत राजस्व (निर्धारित सब्सिडी पर विचार किए बगैर) वर्ष 2010-11 में 3.03 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 3.30 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा और वर्ष 2012-13 में 3.76 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा हो गया।

2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए राजस्व अंतर नीचे चार्ट में दर्शाया गया है :

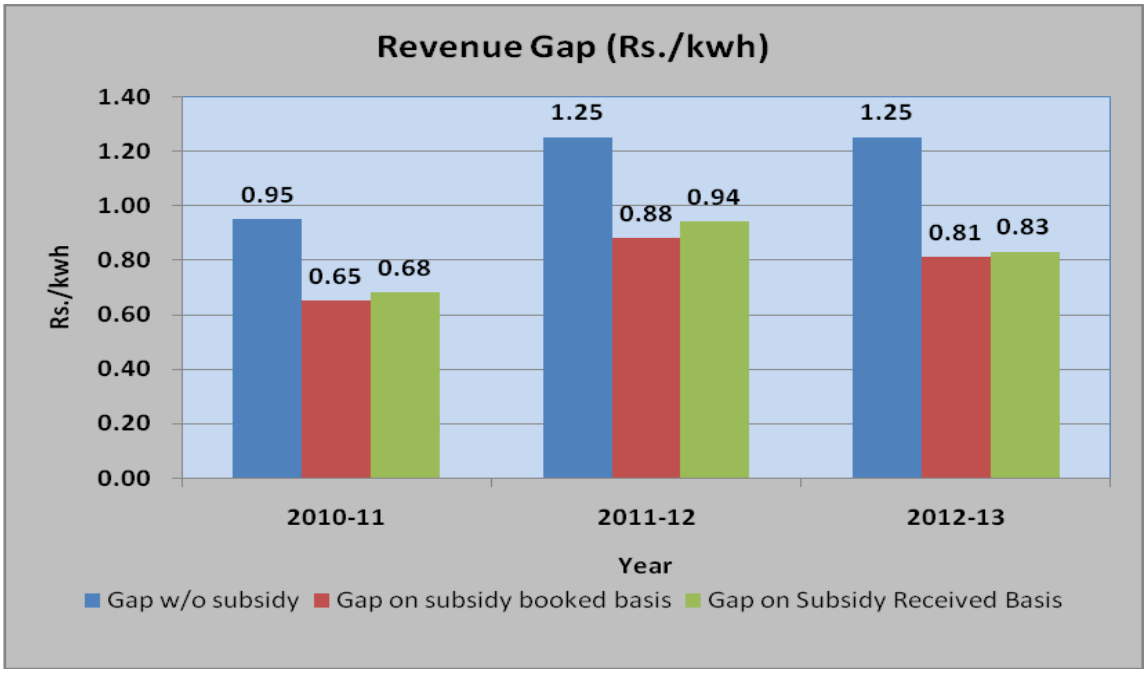

प्रयुक्त पूंजी

इस सेक्टर में कुल प्रयुक्त पूंजी (विद्युत विभागों के लिए वर्ष 2001-02 से पूर्व निवल मूल्य को छोड़कर) वित्त वर्ष 2011 के अंत में 425990 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 के अंत में 458655 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2013 के अंत में 494776 करोड़ रुपए हो गई।

वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा बाजार से ऋण इस सेक्टर में प्रयुक्त पूंजी का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। कुल प्रयुक्त पूंजी में इन ऋणों का शेयर वित्त वर्ष 2011 के अंत में 77 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 के अंत में 84 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2013 के अंत में 92 प्रतिशत हो गया।

राज्य सरकारों से ऋण जो प्रयुक्त पूंजी में दूसरा सबसे बड़ा घटक है, का शेयर वित्त वर्ष 2011 के अंत में 10.29 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 के अंत में 11.58 प्रतिशत हो गया परंतु वित्त वर्ष 2013 के अंत में यह घटकर 9.68 प्रतिशत हो गया।

निवल मूल्य

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य 46169 करोड़ रुपए ऋणात्मक हो गया, जबकि 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार यह 858 करोड़ रुपए था। निवल मूल्य ऋणात्मक बना हुआ है तथा यूटिलिटीज को हुए नुकसान के कारण 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार यह घटकर 81369 करोड़ रुपए हो गया है।

निवल अचल परिसंपत्तियां, पूंजी डब्लयूआईपी (सीडब्लयूआईपी) एवं पूंजी व्यय

निवल अचल परिसंपत्तियां का मूल्य 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 297262 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 3,28,333 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 3,73,854 करोड़ रुपए हो गया। ठेकेदारों को अग्रिम सहित सीडब्लयूआईपी का मूल्य 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 1,07,050 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 1,31,804 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 1,48,024 करोड़ रुपए हो गया।

वर्ष 2010-11 के दौरान पूंजी व्यय 68,490 करोड़ रुपए था जो 2011-12 में बढ़कर 71119 करोड़ रुपए हो गया और यह 2012-13 में और बढ़कर 84305 करोड़ रुपए हो गया।

विद्युत की बिक्री के बदले में प्राप्य राशि

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज की कुल प्राप्य राशि का मूल्य 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 80,558 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 1,05,653 करोड़ रुपए हो गया परंतु यह 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार घटकर 80,958 करोड़ रुपए (बिलिंग न किए गए राजस्व को छोड़कर) हो गया। विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य राशि (दिनों की संख्या) वित्त वर्ष 2011 के दौरान 110 दिन से घटकर वित्त वर्ष 2012 के दौरान 98 दिन हो गई और यह वित्त वर्ष 2013 के दौरान और घटकर 97 दिन हो गई।

नीचे दी गई सारणी उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज की प्राप्य राशि की स्थिति दर्शाती है।

रेंज	**यूटिलिटीज की संख्या**	
	2011-12	**2012-13**
60 दिन से कम	20	19
60 से 90 दिन के बीच	8	9

90 दिन से अधिक	26	27

जेनको, ट्रांसको एवं ट्रेडिंग कंपनियों के लिए विद्युत की बिक्री / पारेषण के लिए ऋणों का मूल्य 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 62,903 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 88,740 करोड़ रुपए हो गया परंतु यह 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार घटकर 74,925 करोड़ रुपए हो गया। विद्युत की बिक्री / पारेषण के लिए प्राप्य राशि (दिनों की संख्या) वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 185 दिन से बढ़कर वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 205 दिन हो गई परंतु यह वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सुधरकर 161 दिन हो गई।

विद्युत के क्रय के लिए ऋणदाता

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए विद्युत की बिक्री के लिए देय राशि का मूल्य 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 65,538 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 1,07,350 करोड़ रुपए हो गया जो 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार घटकर 100,487 करोड़ रुपए हो गया। विद्युत की बिक्री के लिए ऋणदाता वित्त वर्ष 2011 के दौरान 117 दिन से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 के दौरान 148 दिन हो गए परंतु यह वित्त वर्ष 2013 के दौरान घटकर 119 दिन हो गया।

भौतिक

संस्थापित क्षमता, उत्पादन

- 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 223344 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की तुलना में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार देश की कुल संस्थापित क्षमता 2,43,029 मेगावाट है।

- 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट में शामिल राज्य विद्युत क्षेत्र में यूटिलिटीज की सकल संस्थापित क्षमता 75687 मेगावाट थी जो 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 77824 मेगावाट हो गई। कुल संस्थापित क्षमता में थर्मल, हाइडिल और गैस क्षमता का योगदान क्रमश: 59 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 6 प्रतिशत है।
- वर्ष 2011-12 में 3,72,354 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा की तुलना में वर्ष 2012-13 में 3,50,384 मिलियन मेगावाट प्रतिघंटा का उत्पादन हुआ जो लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। थर्मल उत्पादन मुख्य अवलंब बना हुआ है तथा 2012-13 में कुल उत्पादन में इसका अनुपात 77 प्रतिशत था, हाइडिल उत्पादन का अनुपात 17 प्रतिशत और गैस आधारित उत्पादन का अनुपात 5 प्रतिशत था।
- थर्मल उत्पादन वर्ष 2010-11 में 2,55,692 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 2,71,667 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा हो गया परंतु यह वर्ष 2012-13 में घटाकर 2,69,271 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा हो गया।
- हाइडिल उत्पादन वर्ष 2010-11 के दौरान 69,299 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर वर्ष 2011-12

में 76,724 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा हो गया परंतु यह वर्ष 2012-13 में घटाकर 60,698 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा हो गया।

एटीएंडसी क्षति

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए औसत एटीएंडसी क्षति (प्रतिशत) राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2011-12 में 26.63 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 25.38 प्रतिशत हो गई। समग्र संग्रहण दक्षता 2011-12 में 93.19 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 94.35 प्रतिशत हो गई।

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए क्षेत्रवार औसत एटीएंडसी क्षति नीचे दी गई है :

प्रतिशत

क्षेत्र	**2011-12**	**2012-13**
पूर्वी क्षेत्र	41.80	42.06
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	35.15	37.60
उत्तरी क्षेत्र	30.34	28.84
दक्षिणी क्षेत्र	18.89	17.24
पश्चिमी क्षेत्र	24.81	23.36
राष्ट्रीय	**26.63**	**25.38**

वर्ष 2012-13 के लिए सभी क्षेत्रों में दक्षिणी क्षेत्र 17.24 प्रतिशत के साथ सबसे कम एटीएंडसी क्षति वाला क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में एटीएंडसी क्षति में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में निम्नलिखित राज्यों ने एटीएंडसी क्षति में सुधार का प्रदर्शन किया है :

कटौती का प्रतिशत	**राज्यों की संख्या**	**राज्य का नाम**
0-2 प्रतिशत	6	ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गोवा और तमिलनाडु
2-4 प्रतिशत	4	छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड और कर्नाटक
4 प्रतिशत से अधिक	10	मेघालय, जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और बिहार

वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में निम्नलिखित राज्यों की एटीएंडसी क्षति में गिरावट दर्ज की गई :

वृद्धि का प्रतिशत	राज्यों की संख्या	राज्य का नाम
0-2 प्रतिशत	5	त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
2-4 प्रतिशत	1	असम
4 प्रतिशत एवं अधिक	4	हरियाणा, झारखंड, मणिपुर और नगालैंड

उपभोग का पैटर्न

सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बेची गई सकल ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) में वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में 5.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

कृषि उपभोक्ताओं को बिक्री

वर्ष 2012-13 में कुल बेची गई ऊर्जा में कृषि उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) का शेयर लगभग 23 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 में कुल राजस्व में कृषि उपभोक्ताओं से राजस्व का शेयर लगभग 8 प्रतिशत था।

औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री

वर्ष 2012-13 में कुल बेची गई ऊर्जा में औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) का शेयर लगभग 30 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 में कुल राजस्व में औद्योगिक उपभोक्ताओं से राजस्व का शेयर लगभग 41 प्रतिशत था।

खंड क प्रस्तावना

I. पृष्ठभूमि

ऊर्जा नि:संदेह आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक विकास के प्रमुख चालकों में से एक है। ऊर्जा के उपयोग की सघनता एवं दक्षता तथा प्रचालन के स्तर, प्रौद्योगिकी की स्थिति, प्रतियोगिता की मात्रा तथा ऊर्जा क्षेत्र में विनियामक नियंत्रण के आधार पर किसी देश की आर्थिक उन्नति के स्तर का पता चलता है।

भारत सरकार द्वारा ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं जिनके तहत विद्युत वितरण में दक्षता पर आधारित सेक्टर, निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रतियोगिता एवं स्वतंत्र विनियमन की परिकल्पना है। पीएफसी को पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपडीआरपी) और अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इन पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

1.0 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम

1.1 11वीं एवं 12वीं योजना में आर-एपीडीआरपी

11वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय के आदेश दिनांक 19 सितंबर 2008 के माध्यम से राष्ट्रपति की संस्वीकृति के बारे में सूचित किया गया। 22 दिसंबर 2008 को विद्युत मंत्रालय द्वारा आर-एपीडीआरपी के दिशानिर्देशों के जारी होने के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। विद्युत मंत्रालय के आदेश दिनांक 8 जुलाई 2013 के माध्यम से स्कीम के लिए समाप्ति की अवधि 5 साल के लिए बढ़ाई गई है।

1.1.0 आर-एपीडीआरपी का उद्देश्य

इस कार्यक्रम का फोकस सटीक बेसलाइन डाटा के स्थायी संग्रहण तथा स्थायी क्षति कटौती की दृष्टि से वास्तविक, प्रदर्शनीय निष्पादन के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणालियां स्थापित करने पर है। इस स्कीम में तीन भाग हैं अर्थात भाग क, भाग ख और भाग ग।

1.1.1 भाग क

स्कीम का भाग क 2001 की जनगणना के अनुसार 30000 (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10000) से अधिक आबादी वाले सभी कस्बों में विश्वसनीय एवं सत्यापनीय बेसलाइन डाटा प्रणाली प्राप्त करने के लिए आईटी समर्थित प्रणाली स्थापित करने के लिए समर्पित है। भाग क के तहत 4 लाख से अधिक आबादी तथा 350 मिलियन यूनिट से अधिक वार्षिक इनपुट ऊर्जा वाले कस्बों के लिए स्काडा / डीएमएस की स्थापना भी परिकल्पित है। स्काडा सिस्टम विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं दक्षता में सुधार के लिए विद्युत के पैरामीटरों की रियल टाइम निगरानी एवं नियंत्रण को संभव बनाएंगे। आर-एपीडीआरपी के तहत भाग क की परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है तथा परियोजनाओं की समाप्ति और विद्युत मंत्रालय / नोडल एजेंसी द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष की स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों (टीपीआईईए) द्वारा इसके सत्यापन पर ऋण को अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा।

1.1.2 भाग ख

भाग ख नियमित उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजनाओं से संबंधित है। भाग ख का फोकस स्थायी आधार पर एटीएंडसी क्षति में कटौती पर है। ऐसे कस्बों के लिए संस्वीकृति के लिए भाग ख पर विचार किया जाता है जहां भाग क (आईटी) का कार्यान्वयन हुआ है। भाग ख की परियोजनाओं के तहत 25 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है तथा 5 वर्षों (पहले वर्ष की शुरुआत उस वर्ष के बाद होगी जिसमें संबंधित परियोजना क्षेत्र का बेसलाइन डाटा सिस्टम अर्थात भाग क स्थापित होगा) के लिए 15 प्रतिशत के स्तर पर एटीएंडसी क्षति को बनाए रखने तथा आर-एपीडीआरपी की संचालन समिति के निर्णय के अनुसार संस्वीकृति के तीन वर्ष के अंदर परियोजना की समाप्ति के आधार पर योजना की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान में परिवर्तनीय है। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भारत सरकार द्वारा भाग ख की परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है तथा 5 वर्षों (पहले वर्ष की शुरुआत उस वर्ष के बाद होगी जिसमें संबंधित परियोजना क्षेत्र का बेसलाइन डाटा सिस्टम अर्थात भाग क स्थापित होगा) के लिए 15 प्रतिशत के स्तर पर एटीएंडसी क्षति को बनाए रखने के आधार पर 5 खेपों में भारत सरकार का संपूर्ण ऋण अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा। 15 प्रतिशत से अधिक एटीएंडसी क्षति का स्तर प्राप्त होने पर उस वित्त वर्ष के लिए तद्नुसार अनुदान में ऋण का परिवर्तन घट जाएगा। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में भाग ख के लिए योजना की लागत का 10 प्रतिशत तक अनुदान में परिवर्तनीय हो सकता है तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में योजना की लागत का 18 प्रतिशत तक अनुदान में परिवर्तनीय हो सकता है।

1.1.3 भाग ग

आर-एपीडीआरपी में स्कीम के भाग ग के माध्यम से यूटिलिटी के कार्मिकों की क्षमता निर्माण तथा फ्रेंचाइजी के विकास के लिए भी प्रावधान है। भाग ग के तहत स्मार्ट ग्रिड सहित नवाचारों को अपनाने वाली कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं भी परिकल्पित हैं।

1.2 स्कीम का परिव्यय

कार्यक्रम का परिव्यय 51,577 करोड़ रुपए है। भारत सरकार से कुल अनुदान अनुमानत: 31577 करोड़ रुपए है। ब्यौरा इस प्रकार है :

- परियोजनाओं के भाग क और भाग ख के लिए 50000 करोड़ रुपए
- भाग क की गतिविधियों के लिए 10000 करोड़ रुपए
- भाग ख की गतिविधियों के लिए 40000 करोड़ रुपए (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आर-एपीडीआरपी के भाग ख के तहत 40000 करोड़ रुपए तक की स्कीमों की संस्वीकृति के लिए निधियां निर्धारित की है। इसमें से 20000 करोड़ रुपए अनुदान में परिवर्तित किए जाएंगे जो परियोजना क्षेत्रों में यूटिलिटीज द्वारा एटीएंडसी क्षति में कटौती की मात्रा पर आधारित होगा)
- विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली समर्थकारी गतिविधियों के लिए 1177 करोड़ रुपए (नोडल एजेंसी शुल्क, क्षमता निर्माण, नए नवाचारों को अपनाने वाली प्रायोगिक परियोजनाएं)
- बेसलाइन डाटा की स्थापना तथा एटीएंडसी क्षति में निर्धारित कटौती प्राप्त करने के लिए परियोजना क्षेत्रों की यूटिलिटीज के स्टाफ को प्रोत्साहन के लिए 400 करोड़ रुपए

1.3 नोडल एजेंसी

विद्युत मंत्रालय द्वारा इस योजना के प्रचालन के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नोडल एजेंसी ने प्रक्रिया परामर्शदाता की नियुक्ति की है तथा इसने आईटी परामर्शदाताओं, आईटी कार्यान्वयन एजेंसियों, स्काडा / डीएमएस परामर्शदाताओं, स्काडा कार्यान्वयन एजेंसियों तथा तीसरे पक्ष की स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों - ऊर्जा लेखांकन एवं आईटी का पैनल बनाया है।

1.4 कार्यान्वयन की प्रगति (31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार)

1.4.1 भाग क (आईटी)

भाग क (आईटी) के तहत 30 राज्यों की 50 यूटिलिटीज में सभी 1412 पात्र कस्बों के लिए स्कीमों को 5348 करोड़ रुपए की ऋण राशि संस्वीकृत की गई है तथा 2470 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई

है। सभी राज्य यूटिलिटीज ने आईटी परामर्शदाताओं तथा आईटी कार्यान्वयन एजेंसियों की नियुक्ति की है (ओडिशा को छोड़कर, जहां योजनाएं हाल ही में संस्वीकृत की गई हैं) तथा विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन उन्नत चरण पर है। 509 कस्बों को गो-लाइव घोषित किया गया है।

1.4.2 भाग क (स्काडा)

भाग क (स्काडा) के तहत 72 पात्र कस्बों में स्कीमों को 1601 करोड़ रुपए की ऋण राशि संस्वीकृत की जा चुकी है तथा 415 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है। 19 राज्यों / 32 यूटिलिटीज के लिए योजना संस्वीकृत की गई है। इनमें से 15 राज्यों (63 कस्बों) ने स्काडा कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति की है, जबकि शेष राज्यों ने स्काडा कार्यान्वयन एजेंसियों की नियुक्ति के लिए बोली प्रक्रिया शुरू की है।

1.4.3 भाग ख के तहत प्रणाली सुदृढ़ीकरण की परियोजनाएं

भाग ख के तहत 1244 पात्र कस्बों में 31140 करोड़ रुपए मूल्य की योजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं तथा अब तक 4475 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है। 26 राज्यों (43 यूटिलिटीज) में योजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। जिन कस्बों में भाग ख की योजनाएं संस्वीकृत की गई हैं उनमें से 1049 कस्बों में कार्यान्वयन के लिए कार्यादेश सौंपे गए हैं तथा अन्य कस्बे अपने स्वयं के संसाधनों / बाहरी एजेंसियों के माध्यम से इसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में हैं। 70 कस्बों में कार्य पूरा हो गया है।

1.4.4 आर-एपीडीआरपी के माध्यम से एटीएंडसी क्षति में कटौती का मार्ग

वर्ष 2009 से विभिन्न कस्बों में भाग क (आईटी) की परियोजनाएं उत्तरोत्तर संस्वीकृत की गई हैं तथा उनके पूर्ण हो जाने पर एटीएंडसी क्षति की पहचान करने के लिए मानव दखल के बगैर राजस्व एवं ऊर्जा के बेसलाइन डाटा की स्थापना के लिए यूटिलिटीज में आईटी समर्थित प्रणाली की स्थापना संभव होगी। इन कस्बों में तृतीय पक्ष की स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियां बेसलाइन एटीएंडसी क्षति का मूल्यांकन कर रही हैं (अब तक 1251 शहरों में बेसलाइन एटीएंडसी क्षति स्थापित की गई है)। एटीएंडसी क्षति में कटौती को 5 वर्षों के लिए स्कीम के भाग क (आईटी) के तहत स्थापित आईटी प्रणाली के माध्यम से मापा जाएगा तथा उक्त आईटी प्रणाली की स्थापना के बाद एक साल पहला साल होगा।

2.0 अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं (यूएमपीपी)

सरकार ने भारत में विशाल क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं का विकास करने के उद्देश्य से यूएमपीपी कार्यक्रम शुरू किया है। भारत सरकार द्वारा पीएफसी को यूएमपीपी जिसमें से प्रत्येक की संविदाकृत क्षमता 4000 मेगावाट या अधिक होगी, के विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करने के लिए नामित किया गया है। इन यूएमपीपी में एकल स्थान पर आधारित उत्पादन की विशाल क्षमता के आधार पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मितव्ययिता, उत्सर्जन कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है तथा इनमें इन कारकों की वजह से और विकासकों के चयन हेतु अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित होने के कारण उत्पादित विद्युत की टैरिफ लागत कम होने की संभावना है।

इन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) तकनीकी साझेदार है, जबकि विद्युत मंत्रालय सुगमता प्रदाता के रूप में शामिल है। 30 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार 16 यूएमपीपी की पहचान की गई है तथा ये मध्य प्रदेश, गुजरात (दो), छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश (2), झारखंड (2), तमिलनाडु (2), ओडिशा (3) और बिहार में स्थित हैं। 30 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार पीएफसी ने यूएमपीपी के लिए पूर्णत: स्वामित्व वाली कुल 15 एसपीवी का निगमन किया है; ओडिशा में ओडिशा यूएमपीपी तथा तमिलनाडु में चेय्यूर एमपीपी के लिए 2-2 एसपीवी और अन्य यूएमपीपी के लिए एक एसपीवी का निगमन किया गया है। ऐसे एसपीवी के संबंध में, विद्युत मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ मिलकर पीएफसी स्थल के प्रारंभिक अन्वेषण का कार्य करेगा और इन परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक उपयुक्त विनियामक एवं अन्य अनुमोदन (भूमि, पानी, पर्यावरण के लिए अनुमोदन तथा विद्युत की बिक्री के लिए अनुमोदन सहित) प्राप्त करेगा। इनमें से चार एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किए गए हैं, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है। शेष एसपीवी यथासंशोधित डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण, प्रचालन एवं हस्तांतरण (डीबीएफओटी) 2013 आधार पर स्थापित थर्मल पावर स्टेशन से विद्युत के प्रापण के लिए दिशानिर्देशों के अनुसरण में टैरिफ आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाताओं को अंतत: हस्तांतरित किए जाएंगे। ओडिशा तथा चेय्यूर यूएमपीपी के लिए निगमित अतिरिक्त एसपीवी, जो विद्युत केन्द्र के लिए भूमि तथा कोल ब्लाक के धारक होंगे, इन परियोजनाओं से विद्युत का प्रापण करने वालों को हस्तांतरित किए जाएंगे। इसके बाद सफल बोलीदाताओं से इन परियोजनाओं का विकास एवं कार्यान्वयन करने की अपेक्षा है।

निम्नलिखित 4 एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किए गए हैं :

क्र. सं.	**एसपीवी का नाम**	**सफल बोलीदाता**	**हस्तांतरण की तिथि**
1	कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड मुंद्रा, गुजरात	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	22 अप्रैल 2007
2	सासन पावर लिमिटेड सासन, मध्य प्रदेश	रिलायंस पावर लिमिटेड	07 अगस्त 2007
3	कोस्टल आंध्र पावर लिमिटेड कृष्णापट्टनम, आंध्र प्रदेश	रिलायंस पावर लिमिटेड	29 जनवरी 2008
4	झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड तलैया, झारखंड	रिलायंस पावर लिमिटेड	07 अगस्त 2009

आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में द्वितीय यूएमपीपी को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है तथा इसे ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एसपीवी को बंद करने का निर्णय लिया गया है तथा कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के रिकार्डों से एसपीवी का नाम हटाने / एसपीवी को बंद करने की कार्रवाई शुरू की गई है। ओडिशा एवं चेय्यूर यूएमपीपी के लिए रियायतग्राही के चयन के लिए बोली प्रक्रिया चल रही है। पीएफसी शेष यूएमपीपी के संबंध में स्थल अध्ययन संचालित करने तथा लागू विनियामक एवं अन्य मंजूरियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

खंड ख
प्रणाली विज्ञान तथा सूचना की उपलब्धता की स्थिति

I कार्यक्षेत्र एवं कवरेज

पीएफसी द्वारा 2010-11 से 2012-13 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटीज के निष्पादन पर प्रकाशित रिपोर्ट में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी में राज्य विद्युत यूटिलिटीज तथा राज्य विद्युत विभाग और सुधार के उपायों के फलस्वरूप सृजित निजी वितरण कंपनियां (दिल्ली और उड़ीसा में डिस्कॉम) शामिल हैं। इस रिपोर्ट में शामिल यूटिलिटीज की संख्या वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए 91 और वर्ष 2012-13 के लिए 96 है। रिपोर्ट में ऐसी यूटिलिटीज शामिल नहीं हैं जो एकीकृत प्रचालन अर्थात सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, खनन आदि के अंग के रूप में विद्युत प्राप्त कर रही हैं।

II इनपुट

इस रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ पीएफसी को यूटिलिटीज द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखा (लेखा परीक्षित / गैर लेखा

परीक्षित / अनंतिम) रिपोर्ट के लिए प्राथमिक इनपुट हैं। सभी राज्यों के विद्युत विभागों तथा वार्षिक लेखा प्रस्तुत न करने वाली कुछ राज्य यूटिलिटीज के संबंध में योजना आयोग को राज्य विद्युत विभागों / यूटिलिटीज द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक संसाधन योजना पर रिपोर्ट के लिए इनपुट के रूप में विचार किया गया है। उल्लेखनीय है कि वार्षिक संसाधन योजनाएं सीमित स्तर की सूचना प्रदान करती हैं तथा परवर्ती वर्षों में उनमें संशोधन हो सकते हैं। जहां भी अनंतिम लेखा उपलब्ध कराए गए हैं वे लेखा परीक्षा के अधीन हैं तथा उनमें निहित सूचना वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर परिवर्तित हो सकती है।

विद्युत आपूर्ति वार्षिक लेखा नियमावली (एस्सार) के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों के वार्षिक लेखा तैयार किए गए हैं। निगमित विच्छिन्न यूटिलिटीज के वार्षिक लेखा कंपनी अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार तैयार किए जाते हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त सब्सिडी, उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार विद्युत की बिक्री एवं राजस्व, एटीएंडसी क्षति तथा अन्य तकनीकी ब्यौरों जो सामान्यतया निगमित विच्छिन्न यूटिलिटीज के वार्षिक लेखा में उपलब्ध नहीं होते हैं, से संबंधित कतिपय सूचना के लिए अलग से पीएफसी द्वारा यूटिलिटीज से अनुरोध किया जाता है। यूटिलिटीज से प्राप्त ऐसी अतिरिक्त सूचना, जो लिखित या मौखिक रूप में उनके द्वारा सूचित की जाती है, इस रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ इनपुट के रूप में स्वीकार की जाती है। यह रिपोर्ट एसईआरसी की वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट आदि पर उपलब्ध सूचना पर भी निर्भर है।

कंपनी अधिनियम की संशोधित अनुसूची 6 के अनुसार, पुरानी अनुसूची 6 की तुलना में प्रस्तुति एवं प्रकटन की आवश्यकताओं में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पीएफसी ने भी 2012-13 से कुछ पैरामीटरों में संशोधन किया है।

- विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य राशि के आंकड़े (करोड़ रुपए में) में बिलिंग न किया गया राजस्व शामिल नहीं है।
- संग्रहण की दक्षता की गणना के लिए सकल ऋणग्राही (प्रारंभिक एवं अंत मूल्य) बिलिंग न किए गए राजस्व में शामिल नहीं हैं। 2010-11 और 2011-12 में बिलिंग न किया गया राजस्व संग्रहण की दक्षता की गणना के लिए सकल ऋणग्राहियों में शामिल था।
- संशोधित विधि से की गई गणना के अनुसार संग्रहण की दक्षता का प्रयोग करके वर्ष 2012-13 के लिए एटीएंडसी क्षति की गणना की गई है।
- कुल बकाया ऋणों में ऋणों की वर्तमान परिपक्वता को शामिल किया गया है।
  तथापि, वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए इन पैरामीटरों के संव्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है।
- इनपुट की उपलब्धता के संबंध में विस्तृत स्थिति सारणी 1 के रूप में संलग्न है।

III ऐसी यूटिलिटीज के संबंध में सूचना जिनके प्रचालन की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) को 1 नवंबर 2012 से क्रियात्मक दृष्टि से स्वतंत्र 4 यूटिलिटीज अर्थात बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(बीएसपीटीसीएल), नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) में विच्छिन्न किया गया।

मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड (एमईएसईबी) को 1 अप्रैल 2010 से विच्छिन्न किया गया। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए इसकी उत्तराधिकारी यूटिलिटी मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईईसीएल) के वार्षिक लेखा सभी तीन कार्यों अर्थात वितरण, उत्पादन एवं पारेषण के लिए हैं। तथापि वर्ष 2012-13 के लिए उत्तराधिकारी यूटिलिटीज अर्थात मेघालय पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमईपीजीसीएल), मेघालय पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमईपीटीसीएल) और मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमईपीडीसीएल) के लिए आंकड़े योजना आयोग को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई संसाधन योजनाओं से प्राप्त किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 14 जून 2010 से विच्छिन्न किया गया तथा वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए इसकी उत्तराधिकारी यूटिलिटी अर्थात एचपीएसईबी लिमिटेड के वार्षिक लेखा सभी तीन कार्यों के लिए हैं। तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (टांजेडको) और तमिलनाडु ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टैनट्रांस्को) का गठन करने के लिए 1 नवंबर 2010 से तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को विच्छिन्न किया गया।

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को 1 अप्रैल 2010 से विच्छिन्न किया गया। इसकी दो उत्तराधिकारी यूटिलिटीज हैं अर्थात पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उत्पादन एवं वितरण के कार्य) और पंजाब स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसटीसीएल)। पीएसटीसीएल के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। चूंकि पारेषण कंपनी के लिए राजस्व, लाभ, ऋणग्राही आदि अपेक्षाकृत कम हैं, इसलिए इस सेक्टर के सकल आंकड़ों पर चूक का प्रभाव नगण्य होगा।

चूंकि टीवीएनएल के लेखा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं इसलिए इस रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ उत्पादन, संस्थापित क्षमता के संदर्भ में केवल तकनीकी ब्यौरों पर विचार किया गया है जो वर्ष 2012-13 के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की थर्मल समीक्षा से लिए गए हैं।

IV प्रणाली विज्ञान

प्रासंगिकता के आधार पर उपलब्ध सूचना का विश्लेषण यूटिलिटीवार या राज्यवार किया गया है। जहां उपयुक्त समझा गया है, क्षेत्रों के बीच तुलना को संभव बनाने के लिए क्षेत्रवार टोटल / औसत को भी दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 पर फोकस के साथ रिपोर्ट में 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए विद्युत यूटिलिटीज के निष्पादन को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में ऋणात्मक आंकड़ों को कोष्ठक में दर्शाया गया है।

उल्लेखनीय है कि सभी राज्यों में ऐसे असंख्य उपभोक्ता हैं जहां अभी तक मीटर नहीं लगे हैं। इसके अलावा वार्षिक लेखाओं में अधिकांश मामलों में सूचना उपलब्ध नहीं है तथा यूटिलिटीज से प्राप्त की गई है। इस

प्रकार उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार बिक्री के संबंध में सूचना का प्रयोग करते समय समुचित अध्यवसाय का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए एटीएंडसी क्षति की गणना के लिए प्रणाली विज्ञान को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से तैयार किया गया है। संशोधित प्रणाली विज्ञान के अनुसार, पारेषण क्षति (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) और व्यापारित ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) के लिए इनपुट ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) को समायोजित किया गया है। इसी तरह ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को भी व्यापारित ऊर्जा से राजस्व के लिए समायोजित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सभी राज्यों में अभी भी ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या काफी है जहां मीटर नहीं लगे हैं तथा एटीएंडसी क्षति की गणना के लिए वार्षिक लेखाओं में सारवान सूचना उपलब्ध नहीं है। यह सूचना यूटिलिटीज से प्राप्त की गई है। इस प्रकार एटीएंडसी क्षति से संबंधित सूचना का प्रयोग करते समय समुचित अध्यवसाय का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।

वर्ष 2010-11 और/या 2011-12 के लिए एटीएंडसी क्षति बीएसईबी, जेएसईबी, यूएचबीवीएनएल, एचपीएसईबी लिमिटेड, पीएसपीसीएल, डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, पश्चिम वीवीएनएल, पूर्व वीवीएनएल, यूटीपीसीएल, बेसकॉम, गेसकॉम, टैंजेडको और सीएसईबी के लिए रिपोर्ट के पिछले संस्करण में उल्लिखित मूल्यों से भिन्न है क्योंकि वार्षिक लेखाओं को संशोधित किया गया है / लेखा परीक्षा की गई है तथा सिक्किम पीडी, मिजोरम पीडी, नागालैंड पीडी के लिए भिन्न है क्योंकि पिछले वर्षों की वार्षिक योजनाओं में उपलब्ध सूचना को संशोधित किया गया है।
भौतिक एवं वित्तीय पैरामीटरों पर सेक्टोरल निष्पादन के मूल्यांकन के अलावा, रिपोर्ट राजस्व अंतराल और अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों अर्थात प्राप्य राशि का स्तर, इक्विटी में ऋण का अनुपात, इक्विटी पर प्रतिफल, निवल मूल्य, प्रयुक्त पूंजी आदि का विश्लेषण भी प्रदान करती है।

विभिन्न शब्दावलियों / पैरामीटरों को सारणी 2 में परिभाषित किया गया है।

सारणी I : वार्षिक लेखाओं की स्थिति

	राज्य	यूटिलिटीज	2010-11	2011-12	2012-13
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	1 नवंबर 2012 से विच्छिन्न बीएसईबी	**ए**	**पी**	**पी**
		बीएसपीजीसीएल	**-**	**-**	**ए**
		बीएसपीटीसीएल	**-**	**-**	**पी**
		एनबीपीडीसीएल	**-**	**-**	**ए**
		एसबीपीडीसीएल	**-**	**-**	**क**
	झारखंड	जेएसईबी	**ए**	**पी**	**पी**
	उड़ीसा	जीआरआईडीसीओ	**ए**	**ए**	**ए**
		ओपीटीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एनईएससीओ	**ए**	**ए**	**ए**
		ओएचपीसी	**ए**	**ए**	**ए**
		ओपीजीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एसईएससीओ	**ए**	**ए**	**ए**
		सीईएसयू	**ए**	**ए**	**ए**
		डब्ल्यूईएससीओ	**ए**	**ए**	**ए**
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	**आरपी**	**आरपी**	**आरपी**
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	असम	एपीजीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एईजीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एपीडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडीडी	**आरपी**	**आरपी**	**आरपी**
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	**आरपी**	**आरपी**	**आरपी**
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	**आरपी**	**आरपी**	**आरपी**
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	**आरपी**	**आरपी**	**आरपी**
	त्रिपुरा	त्रिपुरा पीडी /	**आरपी**	**आरपी**	**आरपी**

		टीएसईसीएल			
	मेघालय	1 अप्रैल 2010 से एमईईसीएल	**पी**	**पी**	
		एमईपीजीसीएल	**-**	**-**	**आरपी**
		एमईपीटीसीएल	**-**	**-**	**आरपी**
		एमईपीडीसीएल	**-**	**-**	**आरपी**
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	दिल्ली ट्रांसको	**ए**	**ए**	**ए**
		इंद्रप्रस्थ	**ए**	**ए**	**ए**
		टीपीडीडीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		बीएसईएस राजधानी	**ए**	**ए**	**ए**
		बीएसईएस यमुना	**ए**	**ए**	**ए**
		प्रगति	**ए**	**ए**	**ए**
	हिमाचल प्रदेश	14 जून 2010 से विच्छिन्न एचपीएसईबी	**ए**	**-**	**-**
		14 जून 2010 से एचपीएसईबी	**ए**	**ए**	**पी**

	राज्य	यूटिलिटीज	2010-11	2011-12	2012-13
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एचपीजीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एचवीपीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
		यूएचबीवीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
	जम्मू एवं कश्मीर	जेएंडके पीडीसीएल	**ए**	**पी**	**पी**
		जेएंडके पीडीडी	**आरपी**	**आरपी**	**आरपी**
	पंजाब	1 अप्रैल 2010 से पीएसपीसीएल	**ए**	**ए**	**पी**
	राजस्थान	एवीवीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
		जेडीवीवीएनएलज	**ए**	**ए**	**ए**
		जेवीवीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
		आरआरवीपीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**

		आरआरवीयूएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
	उत्तर प्रदेश	यूपीजेवीएनएल	**ए**	**ए**	**पी**
		यूपीपीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		यूपीआरवीयूएनएल	**ए**	**ए**	**पी**
		यूपीपीटीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एमवीवीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
		पूर्व वीवीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
		पश्चिम वीवीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
		डीवीवीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
		केईएससीओ	**ए**	**ए**	**ए**
	उत्तराखंड	यूटीपीसीएल	**ए**	**ए**	**पी**
		यूटी ट्रांसको	**ए**	**ए**	**ए**
		यूजेवीएनएल	**ए**	**ए**	**पी**
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एपीईपीडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एपीजीईएनसीओ	**ए**	**ए**	**ए**
		एपीएनपीडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एपीएसपीडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		अपट्रांसको	**ए**	**ए**	**ए**
	कर्नाटक	बेसकॉम	**ए**	**ए**	**ए**
		गेसकॉम	**ए**	**ए**	**ए**
		हेसकॉम	**ए**	**ए**	**ए**
		केपीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		केपीटीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एमईएससीओएम	**ए**	**ए**	**ए**
		चामुंडेश्वरी डिस्कॉम	**ए**	**ए**	**ए**
	केरल	केएसईबी	**ए**	**पी**	**पी**
	पुद्दुचेरी	पुद्दुचेरी पीडी	**आरपी**	**आरपी**	**आरपी**
		पुद्दुचेरी पीसीएल	**आरपी**	**आरपी**	**आरपी**

	राज्य	यूटिलिटी	2010-	2011-	2012-

		ज	11	12	13
	तमिलनाडु	1 नवंबर 2010 से विच्छिन्न टीएनईबी	**पी**	**-**	
		टैंजेडको	**ए**	**ए**	**ए**
		टैनट्रांसको	**ए**	**ए**	**ए**
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	सीएसपीजीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		सीएसपीटीसीएल	**ए**	**ए**	**पी**
		सीएसपीडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
	गोवा	गोवा पीडी	**आरपी**	**आरपी**	**आरपी**
	गुजरात	पीजीवीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		डीजीवीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एमजीवीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		यूजीवीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		जीईटीसीओ	**ए**	**ए**	**ए**
		जीएसईसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		जीयूवीएनएल	**ए**	**ए**	**ए**
	मध्य प्रदेश	एमपीपीटीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एमपीपीजीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
	महाराष्ट्र	एमएसपीटीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एमएसईडीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**
		एमएसपीजीसीएल	**ए**	**ए**	**ए**

टिप्पणी : क : लेखा परीक्षित पी : अनंतिम आरपी : योजना आयोग संसाधन योजना

टिप्पणी : मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड (एमईएसईबी) को 1 अप्रैल 2010 से विच्छिन्न किया गया। तथापि, जैसा कि यूटिलिटी द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए इसकी उत्तराधिकारी

यूटिलिटी मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईईसीएल) के वार्षिक लेखा सभी तीन कार्यों अर्थात वितरण, उत्पादन एवं पारेषण के लिए हैं। वर्ष 2012-13 के लिए उत्तराधिकारी यूटिलिटीज अर्थात मेघालय पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमईपीजीसीएल), मेघालय पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमईपीटीसीएल) और मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमईपीडीसीएल) के लिए आंकड़े योजना आयोग को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई संसाधन योजनाओं से प्राप्त किए गए हैं।

टिप्पणी : हिमाचल प्रदेश एसईबी को 14 जून 2010 से विच्छिन्न किया गया। जैसा कि यूटिलिटी द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2010-11 और 2012-13 के लिए इसकी उत्तराधिकारी यूटिलिटी अर्थात एचपीएसईबी लिमिटेड के वार्षिक लेखा सभी तीन कार्यों के लिए हैं।

टिप्पणी : पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को 1 अप्रैल 2010 से विच्छिन्न किया गया। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसटीसीएल) के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए इस रिपोर्ट में पीएसटीसीएल को शामिल नहीं किया गया है।

सारणी II : परिभाषाएं

	पैरामीटर		परिभाषा
1	पीएलएफ (थर्मल) (प्रतिशत)	=	उत्पादित ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) (थर्मल) x 105 / संस्थापित क्षमता (थर्मल) (मेगावाट) x 8,760
2	कुल इनपुट ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) • एसईबी / पीडी के लिए • डिसकॉम / ट्रेडिंग कंपनियों के लिए • ट्रांसको के लिए	= = =	उत्पादित ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघटा) - सहायक उपभोग (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) + खरीदी गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) खरीदी गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघटा) + निवल उत्पादन (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा), यदि कोई हो खरीदी गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघटा) + निवल उत्पादन यदि कोई हो या कुल चक्रित ऊर्जा
3	एसईबी / पीडी / डिसकॉम के लिए एटीएंडसी क्षति (प्रतिशत) • कुल इनपुट ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) • ऊर्जा की निवल बिक्री (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) • ऊर्जा की बिक्री से निवल राजस्व (करोड़ रुपए)	= = =	कुल इनपुट ऊर्जा (पारेषण क्षति तथा व्यापारित ऊर्जा के लिए समायोजित) बेची गई कुल ऊर्जा (व्यापारित ऊर्जा के लिए समायोजित) ऊर्जा की बिक्री से राजस्व (व्यापारित ऊर्जा से राजस्व के लिए समायोजित) ऊर्जा की बिक्री से निवल राजस्व - विद्युत की बिक्री

	• संग्रहण की दक्षता (प्रतिशत)	=	के लिए ऋणग्राहियों में परिवर्तन x 100 ऊर्जा की बिक्री से निवल राजस्व
	• वसूली गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) • एटीएंडसी क्षति (प्रतिशत) (एसईबी / पीडी / डिसकॉम के लिए)	= =	ऊर्जा की निवल बिक्री (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) x संग्रहण की दक्षता निवल इनपुट ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) - वसूली गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) x 100 कुल इनपुट ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा)
4	सहायक उपभोग (प्रतिशत)	=	सहायक उपभोग (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) x 100 कुल उत्पादन (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा)
5	कुल आय	=	ऊर्जा की बिक्री से राजस्व + सब्सिडी को छोड़कर अन्य आय
6	सब्सिडी के बगैर पीएटी	=	पीएटी - निर्धारित सब्सिडी
7	नकद लाभ	=	कर पश्चात लाभ + मूल्यह्रास + बट्टे खाते में डाले गए विविध व्यय + आस्थगित कर

	पैरामीटर		परिभाषा
8	नकद लाभ (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर)	=	नकद लाभ - निर्धारित सब्सिडी + प्राप्त सब्सिडी
9	नकद लाभ (वसूली आधार पर सब्सिडी / राजस्व)	=	नकद लाभ - निर्धारित सब्सिडी + प्राप्त सब्सिडी + विद्युत की बिक्री के लिए ऋणग्राहियों में परिवर्तन
10	निबल मूल्य	=	इक्विटी + रिजर्व + लाभ / हानि - बट्टे खाते में न डाले गए विविध व्यय
11	प्रयुक्त पूंजी	=	निवल मूल्य + कुल ऋण + उपभोक्ता अंशदान + अनुदान
12	विद्युत की बिक्री के लिए ऋणग्राही	=	विद्युत की बिक्री के लिए ऋणग्राही - संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान
13	विद्युत की बिक्री के लिए ऋणग्राही	=	विद्युत की बिक्री के लिए ऋणग्राही x 365

	(दिनों की संख्या)		**विद्युत की बिक्री से राजस्व**
14	**विद्युत के क्रय के लिए ऋणदाता**	**=**	**विद्युत के क्रय के लिए ऋणदाता x 365** **विद्युत के क्रय के लिए व्यय**
15	**वर्ष के दौरान पूंजी व्यय**	**=**	**सकल अचल परिसंपत्तियां + पूंजी डब्ल्यूआईपी + ठेकेदार को अग्रिम** **- खुली सकल अचल परिसंपत्तियां -** **खुली पूंजी डब्ल्यूआईपी - ठेकेदार को खुला अग्रिम**
16	**इक्विटी पर प्रतिफल (प्रतिशत)**	**=**	**कर पश्चात लाभ x 100** **इक्विटी**
17	**निवल मूल्य पर प्रतिफल (प्रतिशत)**	**=**	**कर पश्चात लाभ x 100** **निवल मूल्य**
18	**प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)**	**=**	**ब्याज व्यय से पूर्व लाभ x 100** **प्रयुक्त पूंजी**
19	**ऋण इक्विटी अनुपात**	**=**	**कुल ऋण** **निबल मूल्य**
20	**आपूर्ति की औसत लागत (रुपया / किलोवाट प्रतिघंटा)**	**=**	**कुल व्यय** **कुल इनपुट ऊर्जा (किलोवाट प्रतिघंटा)**
21	**औसत राजस्व (रुपया / किलोवाट प्रतिघंटा)**	**=**	**विद्युत की बिक्री से राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) + अन्य आय** **कुल इनपुट ऊर्जा (किलोवाट प्रतिघंटा)**
22	**अंतर (रुपया / किलोवाट प्रतिघंटा)**	**=**	**एसीएस - औसत राजस्व (रुपया / किलोवाट प्रतिघंटा)**

- सब्सिडी के बगैर, निर्धारित सब्सिडी के साथ या प्राप्त सब्सिडी के साथ आय / लाभ तथा लाभप्रदता के अनुपात और अंतर की गणना करने के लिए यथास्थिति निर्धारित एवं प्राप्त सब्सिडी के लिए आय / लाभ / अंतर को समायोजित किया गया है।
- इस सारणी को खंड ख - प्रणाली विज्ञान के साथ पढ़ा जाना है।

खंड ग

अध्याय 1

वित्तीय पैरामीटरों पर निष्पादन

1.0 प्रस्तावना

भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। विद्युत क्षेत्र को अधिक दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इस खंड में विद्युत क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण किया गया है।

1.1 विद्युत की बिक्री से राजस्व

उपभोक्ताओं को विद्युत की सीधी बिक्री करने वाले राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत विभागों तथा डिसकॉम के लिए विद्युत की बिक्री से सकल राजस्व वर्ष 2010-11 में 2,07,927 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 2,41,217 करोड़ रुपए और 2012-13 में 2,88,632 करोड़ रुपए हो गया जो 2011-12 के दौरान 16.1 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 में 19.66 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि को दर्शाता है। इन यूटिलिटीज द्वारा बेची गई कुल ऊर्जा वर्ष 2010-11 में 5,80,997 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा, 2011-12 में 6,24,951 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा और वर्ष 2012-13 में 6,57,629 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा थी जो वर्ष 2011-12 में 7.57 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 5.23 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि को दर्शाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान विद्युत की बिक्री से राजस्व तथा बेची गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) में वृद्धि की क्षेत्रवार दर नीचे सारणी में दी गई है :

	2012-13	
क्षेत्र	**बेची गई ऊर्जा में वृद्धि (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) (प्रतिशत)**	**राजस्व में वृद्धि (प्रतिशत)**
पूर्वी क्षेत्र	9.27	27.47
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1.65	7.77
उत्तरी क्षेत्र	6.49	22.94
दक्षिणी क्षेत्र	0.56	18.38
पश्चिमी क्षेत्र	7.70	16.12

कुल	**5.23**	**19.66**

सभी क्षेत्रों में बेची गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) की तुलना में विद्युत की बिक्री से राजस्व (करोड़ रुपए) में अधिक वृद्धि टैरिफ के माध्यम से वसूली में सुधार को दर्शाती है।

विद्युत की बिक्री से उपर्युक्त राजस्व में राज्य सरकारों से सब्सिडी, मीटर का किराया, व्हीलिंग तथा अन्य प्रभार आदि शामिल नहीं हैं।

(अनुबंध 1.1.0)

1.2 यूटिलिटीज की आय, व्यय एवं लाभप्रदता

1.2.1 उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के सकल कारोबार (विद्युत की बिक्री से राजस्व तथा अन्य आय परंतु इसमें निर्धारित सब्सिडी शामिल नहीं है) ने वर्ष 2011-12 में 16.73 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 18.69 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रदर्शित की।

इन यूटिलिटीज के सकल व्यय ने वर्ष 2011-12 में 22.81 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 में 14.65 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की। लागत (मूल्यह्रास सहित) की वसूली नीचे सारणी में दर्शाई गई है :

	2010-11	**2011-12**	**2012-13**
सब्सिडी को छोड़कर कुल आय (करोड़ रुपए में)	2,29,213	2,67,560	3,17,557
कुल व्यय (करोड़ रुपए में)	3,00,678	3,69,275	4,23,377
लागत की वसूली (प्रतिशत)	76.23 प्रतिशत	72.46 प्रतिशत	75.01 प्रतिशत

इन यूटिलिटीज की सकल बही क्षति वर्ष 2010-11 में 49,577 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 72,629 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2012-13 में क्षति घटकर 69108 करोड़ रुपए पहुंच गई। सकल रोकड़ क्षति (राजस्व तथा प्राप्त सब्सिडी के आधार पर) 2010-11 में 60344 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 94100 करोड़ रुपए हो गई परंतु 2012-13 में यह घटकर 360115 करोड़ रुपए हो गई। प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल क्षति वर्ष 2010-11 में 51,948 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 76,867 करोड़ रुपए हो गई। तथापि, वर्ष 2012-13 में क्षति घटकर 69,972 करोड़ रुपए हो गई।

इन यूटिलिटीज के लिए सब्सिडी पर विचार किए बगैर सकल क्षति वर्ष 2010-11 में 72282 करोड़

रुपए से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 102638 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2012-13 में क्षति और बढ़कर 106071 करोड़ रुपए पर पहुंच गई।

(अनुबंध 1.2.1 से 1.2.3)

1.2.2 जेनको / ट्रांसको / ट्रेडिंग कंपनियां

इन यूटिलिटीज का सकल कारोबार (सब्सिडी को छोड़कर कुल आय) वर्ष 2010-11 में 1,23,497 करोड़ रुपए, 2011-12 में 1,54,363 करोड़ रुपए और वर्ष 2012-13 में 1,73,979 करोड़ रुपए था।

इन यूटिलिटीज को वर्ष 2010-11 में 2992 करोड़ रुपए की सकल बही क्षति हुई। यूटिलिटीज ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 में क्रमश: 248 करोड़ रुपए और 1023 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया।

(अनुबंध 1.3.1. से 1.3.3)

1.3 यूटिलिटीज का समग्र वित्तीय निष्पादन - राज्यवार

1.3.1 बही लाभ / हानि

सभी यूटिलिटीज का बही क्षति (प्रोद्भवन आधार पर) वर्ष 2010-11 में 52569 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 72381 करोड़ रुपए हो गई। तथापि, 2012-13 में बही क्षति घटकर 68,085 करोड़ रुपए हो गई।

वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में बही लाभ में वृद्धि या बही क्षति में कटौती की दृष्टि से सारवान सुधार (100 करोड़ रुपए से अधिक) दर्शाने वाले राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं।

वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में अपने बही लाभ / क्षति में गिरावट (100 करोड़ रुपए अधिक) दर्शाने वाले राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुड्डुचेरी और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में से दिल्ली ने 2011-12 में 1710 करोड़ रुपए के लाभ के विरुद्ध 2012-13 में 939 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया; आंध्र प्रदेश ने 2011-12 में 699 करोड़ रुपए के लाभ के विरुद्ध 2012-13 में 16654 करोड़ रुपए की हानि दर्ज की; और कर्नाटक ने 2011-12 में 159 करोड़ रुपए के लाभ के विरुद्ध 2012-13 में 791 करोड़ रुपए की हानि दर्ज की।

वर्ष 2012-13 के दौरान दर्ज किए गए लाभ / हानि (प्रोद्भवन आधार पर) की दृष्टि से शीर्ष 6 राज्य तथा अधस्तल के 6 राज्य इस प्रकार हैं :

वर्ष 2012-13 के दौरान दर्ज किए गए लाभ (प्रोद्भवन आधार पर) की दृष्टि से शीर्ष 6 राज्य

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

करोड़ रुपए

दिल्ली	939
महाराष्ट्र	655
पश्चिम बंगाल	546
गुजरात	539
पंजाब	296
केरल	241

वर्ष 2012-13 के दौरान दर्ज की गई हानि (प्रोद्भवन आधार पर) की दृष्टि से अधस्तल के 6 राज्य

करोड़ रुपए

आंध्र प्रदेश	16,654
उत्तर प्रदेश	13,155
राजस्थान	12,495
तमिलनाडु	11,443
मध्य प्रदेश	4,472
हरियाणा	3,834

(अनुबंध 1.5.1 से 1.5.3)

1.3.2 प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / हानि

सभी यूटिलिटीज के लिए प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल क्षति 2010-11 में 54,953 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 76,633 करोड़ रुपए हो गई परंतु 2012-13 में घटकर 68,964 करोड़ रुपए हो गई।

वर्ष 2012-13 में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र ने प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ अर्जित किया। वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में निम्नलिखित राज्यों ने प्राप्त सब्सिडी के आधार पर क्षति में काफी कटौती का प्रदर्शन किया : हरियाणा (9,390 करोड़ रुपए), राजस्थान (7,442 करोड़ रुपए), झारखंड (2,336 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (1,481 करोड़ रुपए), बिहार (1,435 करोड़ रुपए) एवं छत्तीसगढ़ (1,394 करोड़ रुपए)। तथापि, आंध्र प्रदेश (13307 करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश (1470 करोड़ रुपए) और उत्तर प्रदेश (1221 करोड़ रुपए) में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर क्षति में काफी वृद्धि हुई है।

2012-13 में लाभ (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर) के आधार पर शीर्ष 6 राज्य

करोड़ रुपए

दिल्ली	939

महाराष्ट्र	655
पश्चिम बंगाल	546
गुजरात	539
केरल	241
पंजाब	51

2012-13 में हानि (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर) के आधार पर अधस्तल के 6 राज्य

करोड़ रुपए

आंध्र प्रदेश	16,668
उत्तर प्रदेश	13,155
राजस्थान	12,510
तमिलनाडु	11,827
मध्य प्रदेश	4,474
हरियाणा	3,834

(अनुबंध 1.5.1 से 1.5.3)

1.3.3 लाभ / हानि (सब्सिडी के बगैर)

सभी यूटिलिटीज के लिए सकल क्षति (सब्सिडी के लिए लेखांकन के बगैर) वर्ष 2010-11 में 75,297 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 1,02,411 करोड़ रुपए और 2012-13 में 1,05,070 करोड़ रुपए हो गई।

वर्ष 2012-13 में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तराखंड, केरल और महाराष्ट्र ने लाभ (सब्सिडी के बगैर) अर्जित किया। वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में सब्सिडी के बगैर क्षति में सारवान कटौती दर्शाने वाले राज्यों में हरियाणा (7,587 करोड़ रुपए), राजस्थान (6859 करोड़ रुपए), झारखंड (1986 करोड़ रुपए) और छत्तीसगढ़ (1395 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

तथापि, सकल आधार पर यूटिलिटीज के लिए सब्सिडी पर विचार किए बगैर क्षति में काफी वृद्धि हुई है तथा यह आंध्र प्रदेश के मामले में 14759 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 2315 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश में 1927 करोड़ रुपए और कर्नाटक में 1830 करोड़ रुपए है।

(अनुबंध 1.5.1 से 1.5.3)

1.3.4 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए यूटिलिटीज की सकल आय, व्यय तथा

लाभप्रदता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

करोड़ रुपए

		2010-11	2011-12	2012-13
क	आय (सब्सिडी के बगैर) - उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज	2,29,213	2,67,560	3,17,557
ख	व्यय (मूल्यह्रास, बट्टा खाता एवं कर के बगैर) - उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज	2,92,507	3,62,141	4,13,960
ग	मूल्यह्रास, बट्टा खाता, सब्सिडी एवं कर के बगैर लाभ (हानि) - उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज (क-ख)	(63,294)	(94,581)	(96,403)
घ	मूल्यह्रास, सब्सिडी एवं कर के बगैर लाभ / (हानि) - जेनको, ट्रांसको एवं ट्रेडिंग यूटिलिटीज	6,369	10,867	13,864
ङ	सभी यूटिलिटीज के लिए मूल्यह्रास, बट्टा खाता, सब्सिडी एवं कर के बगैर कुल लाभ / (हानि) (ग+घ)	(56,925)	(83,714)	(82,538)
च	निर्धारित सब्सिडी	22,728	30,030	36,985
छ	आयकर	1,339	1,562	1,746
छ1	आस्थगित कर	770	69	742
ज	सभी यूटिलिटीज के लिए मूल्यह्रास, बट्टा खाता के बगैर कुल लाभ / (हानि) (ड.+च-छ)	(35,536)	(55,246)	(47,300)
झ	अदत्त सब्सिडी	2,384	4,252	880
ञ	मूल्यह्रास एवं बट्टा खाता	16,263	16,366	20,043
ट	**सभी यूटिलिटीज के लिए कुल बही लाभ / हानि (ज-ञ-छ1)**	**(52,569)**	**(72,381)**	**(68,085)**
ठ	**सभी यूटिलिटीज के लिए प्राप्त सब्सिडी के आधार पर कुल लाभ / हानि (ट-झ)**	**(54,953)**	**(76,633)**	**(68,964)**
ढ़	**सभी यूटिलिटीज के लिए सब्सिडी के बगैर कुल लाभ / हानि (ट-च)**	**(75,297)**	**(1,02,411)**	**(1,05,070)**

1.3.5 काफी घाटे में चलने वाली यूटिलिटीज को छोड़कर इस सेक्टर की लाभप्रदता

यदि हम अकेले चल सकने योग्य आधार पर चुनिंदा राज्यों से संबंधित क्षति का विश्लेषण करें तो इस सेक्टर के निष्पादन का बेहतर परिप्रेक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तद्नुसार देखा गया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अन्य राज्यों की तुलना में प्रोद्भवन आधार पर उच्च स्तर की क्षति दर्ज की है। इन 4 राज्यों के लिए वर्ष 2012-13 में प्रोद्भवन आधार पर सकल क्षति 53746 करोड़ रुपए है। इसी तरह वर्ष 2012-13 में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल क्षति 54160 करोड़ रुपए है।

करोड़ रुपए

	2010-11		2011-12		2012-13	
	प्रोद्भवन आधार पर पीएटी / (हानि)	**प्राप्त सब्सिडी के आधार पर पीएटी / (हानि)**	**प्रोद्भवन आधार पर पीएटी / (हानि)**	**प्राप्त सब्सिडी के आधार पर पीएटी / (हानि)**	**प्रोद्भवन आधार पर पीएटी / (हानि)**	**प्राप्त सब्सिडी के आधार पर पीएटी / (हानि)**
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य	(11,017)	(11,184)	(27,887)	(28,078)	(14,338)	(14,804)
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु	(41,552)	(43,769)	(44,494)	(48,555)	(53,747)	(54,160)
कुल	**(52,569)**	**(54,953)**	**(72,381)**	**(76,633)**	**(68,085)**	**(68,964)**

1.3.6 सकल राजस्व के अनुपात के रूप में लाभ

सकल राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) के अनुपात के रूप में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी में सभी यूटिलिटीज के लिए सकल बही क्षति वर्ष 2010-11 में 22.93 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 27.05 प्रतिशत हो गई परंतु 2012-13 में सुधरकर 21.44 प्रतिशत हो गई। इसी तरह सकल राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल क्षति वर्ष 2010-11 में 23.97 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 28.64 प्रतिशत हो गई परंतु 2012-13 में सुधरकर 21.72 प्रतिशत हो गई।

(अनुबंध 1.5.4 से 1.5.6)

1.4 निर्धारित एवं प्राप्त सब्सिडी

अनेक मामलों में एक वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित सब्सिडी परवर्ती वर्षों में प्राप्त होती है। वार्षिक लेखाओं में सूचना के अभाव में प्राप्त सब्सिडी के ब्यौरे यूटिलिटीज से अलग से प्राप्त किए गए हैं।

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज द्वारा निर्धारित सब्सिडी वर्ष 2010-11 में 22,705 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 30,009 करोड़ रुपए हो गई और वर्ष 2012-13 में बढ़कर 36,964 करोड़ रुपए हो गई। विद्युत की बिक्री से राजस्व के प्रतिशत के रूप में, यूटिलिटीज द्वारा निर्धारित सब्सिडी वर्ष 2010-11 में 10.92 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 12.44 प्रतिशत हो गई तथा 2012-13 में और बढ़कर 12.81 प्रतिशत हो गई। पूर्वांचल वीवीएनएल तथा आंध्र प्रदेश के सभी डिसकॉम द्वारा 2011-12 की तुलना में 2012-13 में राजस्व के अनुपात में निर्धारित सब्सिडी के स्तर पर 5 प्रतिशत से अधिक की कटौती हुई है। तथापि, कुछ यूटिलिटीज अर्थात बीएसईबी, जेएसईबी, यूएचबीवीएनएल, डीवीवीएन, पश्चिमांचल वीवीएनएल, हेसकॉम एवं टैंजेडको ने 2011-12 की तुलना में 2012-13 में विद्युत की बिक्री से राजस्व की तुलना में निर्धारित सब्सिडी के स्तर पर में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि प्रदर्शित की। यूटिलिटीज द्वारा निर्धारित सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सब्सिडी वर्ष 2011-12 में 85.88 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 97.66 प्रतिशत हो गई। असम (0.00 प्रतिशत), पंजाब (95.38 प्रतिशत), कर्नाटक (96.91 प्रतिशत) और तमिलनाडु (91.37 प्रतिशत) को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने अपनी अपनी वितरण कंपनियों द्वारा निर्धारित की गई लगभग संपूर्ण सब्सिडी जारी की हैं।

(अनुबंध 1.4.1)

1.5 आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) तथा औसत राजस्व के बीच अंतर (रुपया / किलोवाट प्रतिघंटा) (प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के आधार पर)

आपूर्ति की औसत लागत वर्ष 2010-11 में 3.98 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 4.55 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा और वर्ष 2012-13 में 5.01 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा हो गई।

औसत राजस्व (निर्धारित सब्सिडी पर विचार किए बगैर) वर्ष 2010-11 में 3.03 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 3.30 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा और वर्ष 2012-13 में 3.76 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा हो गया। सब्सिडी के बगैर आपूर्ति की औसत लागत तथा औसत राजस्व के बीच अंतर 2010-11 में 0.95 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा था जो 2011512 में बढ़कर

1.25 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा हो गया और 2012-13 में 1.25 रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा पर बना रहा। निर्धारित सब्सिडी के आधार पर अंतर 2010-11 में 0.65 रुपए / किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर 2011-12 में 0.88 रुपए / किलोवाट प्रतिघंटा हो गया परंतु 2012-13 में घटकर 0.81 रुपए / किलोवाट प्रतिघंटा हो गया। इसी तरह प्राप्त सब्सिडी के आधार पर अंतर 2010-11 में 0.68 रुपए / किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर 2011-12 में 0.94 रुपए / किलोवाट प्रतिघंटा हो गया और 2012-13 में घटकर 0.83 रुपए / किलोवाट प्रतिघंटा हो गया।

(अनुबंध 1.6.1 से 1.6.3)

क्षेत्रवार अंतर के संबंध में रुझान निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई है :

रुपए प्रति किलोवाट प्रतिघंटा

क्षेत्र	**सब्सिडी के बगैर अंतर**			**निर्धारित सब्सिडी के आधार पर अंतर**			**निर्धारित सब्सिडी के आधार पर अंतर**		
	10-11	**11-12**	**12-13**	**10-11**	**11-12**	**12-13**	**10-11**	**11-12**	**12-13**
पूर्वी	0.50	1.20	0.79	0.30	0.82	0.31	0.30	0.82	0.31
उत्तरी पूर्वी	1.69	1.68	1.61	1.41	1.50	1.43	1.41	1.63	1.56
उत्तरी	1.60	2.21	1.65	1.21	1.73	1.03	1.22	1.72	1.04
दक्षिणी	0.97	1.09	1.88	0.55	0.58	1.34	0.66	0.77	1.36
पश्चिमी	0.29	0.33	0.36	0.17	0.22	0.23	0.17	0.22	0.23
राष्ट्रीय	**0.95**	**1.25**	**1.25**	**0.65**	**0.88**	**0.81**	**0.68**	**0.94**	**0.83**

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान पश्चिम क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में यूटिलिटीज का अंतर राष्ट्रीय औसत से कम है।

(अनुबंध 1.61 से 1.6.3)

1.6 व्यय के ब्यौरे

व्यय तथा लागत संरचना के ब्यौरे क्रमश: अनुबंध 1.7.1 से 1.7.3 और अनुबंध 1.8.1 से 1.8.3 के रूप में संलग्न हैं।

अध्याय 2

वित्तीय स्थिति

2.0 प्रस्तावना

इस खंड में वर्ष 2012-13 के समय राज्य विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन की जांच की गई है।

2.1 पूंजी संरचना

इस सेक्टर में कुल प्रयुक्त पूंजी (विद्युत विभागों के लिए वर्ष 2001-02 से पूर्व निवल मूल्य को छोड़कर) वित्त वर्ष 2011 के अंत में 425990 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 के अंत में 458655 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2013 के अंत में 494776 करोड़ रुपए हो गई।

(अनुबंध 2.1.0)

वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा बाजार से ऋण इस सेक्टर में प्रयुक्त पूंजी का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। कुल प्रयुक्त पूंजी में इन ऋणों का शेयर वित्त वर्ष 2011 के अंत में 77 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 के अंत में 84 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2013 के अंत में 92 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकारों से ऋण जो प्रयुक्त पूंजी में दूसरा सबसे बड़ा घटक है, वित्त वर्ष 2011 के अंत में 10.29 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 के अंत में 11.58 प्रतिशत हो गया परंतु वित्त वर्ष 2013 के अंत में घटकर 9.68 प्रतिशत हो गया। उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यूटिलिटीज पूंजी संबंधी अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकारों की तुलना में बाजार संसाधनों पर अधिक निर्भर हो रही हैं।

(अनुबंध 2.2.1 से 2.2.3)

2.2 निवल मूल्य

इस सेक्टर में कुल इक्विटी निवेश वर्ष 2010-11 में 1,38,847 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 1,60,541 करोड़ रुपए और वर्ष 2012-13 में 1,81,749 करोड़ रुपए हो गया जो वर्ष 2012-13 में 13 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा (ग्रिडको), दिल्ली (आईपीजीसीएल, पीपीसीएल

और टीपीडीडीएल), गुजरात (जीएसईसीएल, जीयूवीएनएल और यूजीवीसीएल) तथा महाराष्ट्र (एमएसईडीसीएल और एमएसपीजीसीएल) की यूटिलिटीज में पर्याप्त इक्विटी का निवेश किया गया है।

तत्कालीन बीएसईबी में कोई इक्विटी पूंजी नहीं थी। तथापि, उत्तराधिकारी यूटिलिटीज में 1975 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी है।

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य 46169 करोड़ रुपए ऋणात्मक हो गया, जबकि 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार यह 858 करोड़ रुपए था। निवल मूल्य ऋणात्मक बना हुआ है तथा यूटिलिटीज को हुए नुकसान के कारण 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार यह घटकर 81369 करोड़ रुपए हो गया है।

(अनुबंध 2.2.0)

2.3 उधार ली गई निधि

राज्य सरकारों का बकाया ऋण 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 43,839 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 53,142 करोड़ रुपए हो गया परंतु 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार यह घटकर 47,920 करोड़ रुपए हो गया। 2012-13 के दौरान यूटिलिटीज के कुल ऋणों में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से बकाया ऋणों, बांडों एवं डिबेंचरों तथा अन्य ऋणों का अनुपात लगभग 91 प्रतिशत था। यह ऋण 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 3,33,387 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 3,89,824करोड़ रुपए हो गया और 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार यह 4,59,145 करोड़ रुपए हो गया।

(अनुबंध 2.2.1 से 2.2.3)

2.4 निवल अचल परिसंपत्तियां तथा पूंजी डब्ल्यूआईपी (सीडब्ल्यूआईपी)

निवल अचल परिसंपत्तियां का मूल्य 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 297262 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 3,28,333 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 3,73,854 करोड़ रुपए हो गया। ठेकेदारों को अग्रिम सहित सीडब्लयूआईपी का मूल्य 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 1,07,050 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 1,31,804 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 1,48,024 करोड़ रुपए हो गया।

(अनुबंध 2.3.0 और 2.4.0)

2.5 पूंजी व्यय

वर्ष 2010-11 के दौरान पूंजी व्यय 68,490 करोड़ रुपए था जो 2011-12 में बढ़कर 71119 करोड़ रुपए हो गया और यह 2012-13 में और बढ़कर 84305 करोड़ रुपए हो गया। 2011-12 की

तुलना में वर्ष 2012-13 में समग्र पूंजी व्यय में पर्याप्त वृद्धि का प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं।

(अनुबंध 2.5.0)

2.6 विद्युत की बिक्री के बदले में प्राप्य राशि

विद्युत क्षेत्र प्राप्य राशि के उच्च स्तर तथा संग्रहण की कमजोर दक्षता की समस्या से जूझ रहा है।

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज की कुल प्राप्य राशि का मूल्य 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 80,558 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 1,05,653 करोड़ रुपए हो गया परंतु यह 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार घटकर 80,958 करोड़ रुपए (बिलिंग न किए गए राजस्व को छोड़कर) हो गया। विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य राशि (दिनों की संख्या) वित्त वर्ष 2011 के दौरान 110 दिन से घटकर वित्त वर्ष 2012 के दौरान 98 दिन हो गई और यह वित्त वर्ष 2013 के दौरान और घटकर 97 दिन हो गई।

(अनुबंध - 2.6.1)

नीचे दी गई सारणी उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज की प्राप्य राशि की स्थिति दर्शाती है।

रेंज	**यूटिलिटीज की संख्या**	
	2011-12	**2012-13**
60 दिन से कम	20	19
60 से 90 दिन के बीच	8	9
90 दिन से अधिक	26	27

वित्त वर्ष 2013 के अंत में, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश (एपीएनपीडीसीएल को छोड़कर), एचपीएसईबी लिमिटेड, पीएसपीसीएल, केएसईबी, टैंजेडको, मिजोरम पीडी तथा गोवा के डिसकॉम के प्राप्य दिनों की संख्या 60 से कम है।

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार एनबीपीडीसीएल, एसबीपीडीसीएल, सीईएसयू, सिक्किम पीडी, अरुणाचल पीडी, मणिपुर पीडी, एमईपीडीसीएल, नागालैंड पीडी, उत्तर प्रदेश में डिसकॉम (पश्चिमांचल वीवीएनएल को छोड़कर), चेसकॉम तथा एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल के प्राप्य राशियों का स्तर 200 दिन से अधिक है।

जेनको, ट्रांसको एवं ट्रेडिंग कंपनियों के लिए विद्युत की बिक्री / पारेषण के लिए ऋणों का मूल्य 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 62,903 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2012 की स्थिति

के अनुसार 88,740 करोड़ रुपए हो गया परंतु यह 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार घटकर 74,925 करोड़ रुपए हो गया। विद्युत की बिक्री / पारेषण के लिए प्राप्य राशि (दिनों की संख्या) वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 185 दिन से बढ़कर वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 205 दिन हो गई परंतु यह वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सुधरकर 161 दिन हो गई। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार, इन यूटिलिटीज में से ओपीएचसी, एईजीसीएल, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में यूटिलिटीज, एचपीजीसीएल, जेएंडके पीडीसीएल, यूजेवीएनएल, केपीसीएल, पुड्डूचेरी पीसीएल तथा टैनट्रांसको की प्राप्त राशि 200 दिन से अधिक थी।

(अनुबंध 2.6.2)

2.7 विद्युत के क्रय के लिए ऋणदाता

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए विद्युत की बिक्री के लिए देय राशि का मूल्य 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 65,538 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 1,07,350 करोड़ रुपए हो गया जो 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार घटकर 100,487 करोड़ रुपए हो गया। विद्युत की बिक्री के लिए ऋणदाता वित्त वर्ष 2011 के दौरान 117 दिन से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 के दौरान 148 दिन हो गए परंतु यह वित्त वर्ष 2013 के दौरान घटकर 119 दिन हो गया।

(अनुबंध - 2.7.2)

अध्याय 3

लाभप्रदता एवं पूंजी संरचना के अनुपात का विश्लेषण

3.0 प्रस्तावना

वित्तीय अनुपात यूटिलिटी के निष्पादन के अनेक पहलुओं का परिमाण निर्धारित करते हैं तथा यूटिलिटीज के बीच तुलना को संभव बनाते हैं।

इस खंड में लाभप्रदता, प्रचालनात्मक दक्षता तथा वित्तीय उपयोग से संबंधित अनुपात प्रस्तुत किए गए हैं।

3.1 इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)

12 यूटिलिटीज अर्थात ओएचपीसी, ओपीजीसीएल, डब्ल्यूबीएसईटीसीएल, एईजीसीएल, इंद्रप्रस्थ, टीपीडीडीएल, जेएंडके पीडीसीएल, अपजेनको, अपट्रांसको, केएसईबी, जेटको तथा एमएसईटीसीएल के लिए वर्ष 2012 के दौरान इक्विटी पूंजी पर प्रतिफल (निर्धारित सब्सिडी के आधार पर विचारित पीटीए) 12 प्रतिशत से अधिक था।

(अनुबंध - 3.1.0)

पिछले दो वर्षों के लिए आरओई की रेंज तथा इसके वितरण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

आरओई	यूटिलिटीज की संख्या	
	2011-12	2012-13
1 प्रतिशत से कम	3	7
1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत	10	13
5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत	9	11
12 प्रतिशत से अधिक	18	12
ऋणात्मक	41	41

3.2 निवल मूल्य पर प्रतिफल (आरओएनडब्लयू)

7 यूटिलिटीज अर्थात ओपीजीसीएल, डब्ल्यूबीएसईटीसीएल, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, जेएंडके पीडीसीएल, एपी ट्रांसको, हेसकॉम एवं एमएसईटीसीएल के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान निवल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मूल्य पर प्रतिफल (पीएटी की गणना निर्धारित सब्सिडी के आधार पर की गई है) 12 प्रतिशत से अधिक था।

नीचे दी गई सारणी में पिछले 2 वर्षों के दौरान आरओएनडब्ल्यू की रेंज तथा इसके वितरण का ब्यौरा दर्शाया गया है :

रेंज	**यूटिलिटीज की संख्या**	
	2011-12	**2012-13**
1 प्रतिशत से कम	3	9
1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत	13	17
5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत	16	7
12 प्रतिशत से अधिक	8	7
ऋणात्मक	50	52

(अनुबंध - 3.1.0)

3.3 प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)

आरओसीई ऐसे प्रतिफल का मापदंड है जिसे कोई कंपनी कुल प्रयुक्त पूंजी पर सृजित कर रही है। यह अनुपात दर्शाता है कि राजस्व का सृजन करने के लिए कितनी दक्षता के साथ पूंजी का उपयोग किया जा रहा है।

पिछले दो वर्षों के लिए आरओसीई की रेंज तथा इसके वितरण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

आरओसीई की रेंज	**यूटिलिटीज की संख्या**	
	2011-12	**2012-13**
1 प्रतिशत से कम	1	5
1 प्रतिशत से 12 प्रतिशत	47	42
12 प्रतिशत से अधिक	6	7
ऋणात्मक	36	41

(अनुबंध - 3.2.0)

3.4 ऋण इक्विटी अनुपात

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 53 यूटिलिटीज का निवल मूल्य धनात्मक था, जबकि 39 यूटिलिटीज का निवल मूल्य ऋणात्मक था।

वर्ष 2012-13 में ऋण इक्विटी अनुपात की रेंज निम्नानुसार थी :

ऋण इक्विटी रेंज	यूटिलिटीज की संख्या
1 से कम	14
1 से 2.33 के बीच	24
2.33 से 3.5 के बीच	7
3.5 से अधिक	10
ऋणात्मक	37

(अनुबंध - 3.3.0)

अध्याय 4

भौतिक पैरामीटरों पर निष्पादन

4.0 प्रस्तावना

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 2,23,344 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की तुलना में 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार देश की कुल संस्थापित क्षमता 2,43,029 मेगावाट है। इस समय संस्थापित क्षमता में राज्य क्षेत्र का शेयर लगभग 38 प्रतिशत, केन्द्रीय क्षेत्र का शेयर लगभग 28 प्रतिशत और निजी क्षेत्र का शेयर लगभग 34 प्रतिशत है। देश निजी क्षेत्र से उत्पादन पर अधिक निर्भरता का प्रदर्शन कर रहा है। (स्रोत : सीईए)

4.1 संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट में शामिल राज्य विद्युत क्षेत्र में यूटिलिटीज की सकल संस्थापित क्षमता 75687 मेगावाट थी जो 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 77824 मेगावाट हो गई। वर्ष 2012-13 के दौरान क्षमता में प्रमुख वृद्धि प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीआरवीयूएनएल, केपीसीएल और एमएसपीजीसीएल में थी। कुल संस्थापित क्षमता में थर्मल, हाइडिल और गैस क्षमता का योगदान क्रमश: 59 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 6 प्रतिशत है।

(अनुबंध 4.1.0, 4.1.1 से 4.1.3)

4.2 उत्पादन (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा)

वर्ष 2011-12 में 3,72,354 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा की तुलना में वर्ष 2012-13 में 3,50,384 मिलियन मेगावाट प्रतिघंटा का उत्पादन हुआ जो लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। थर्मल उत्पादन मुख्य अवलंब बना हुआ है तथा 2012-13 में कुल उत्पादन में इसका अनुपात 77 प्रतिशत था, हाइडिल उत्पादन का अनुपात 17 प्रतिशत और गैस आधारित उत्पादन का अनुपात 5 प्रतिशत था।

मिजोरम पीडी, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जेएसईबी, टीवीएनएल, यूपीजेवीएनएल और एमईपीजीसीएल / एमईईसीएल ऐसी यूटिलिटीज हैं जिन्होंने 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान उत्पादन में 10 प्रतिशत या अधिक वृद्धि का प्रदर्शन किया है।

(अनुबंध 4.2.0, 4.2.1 से 4.2.3)

यूपीजेवीएनएल, जीएसईसीएल और एमईपीजीसीएल / एमईईसीएल द्वारा हाइडिल उत्पादन में कुछ सुधार प्राप्त किया गया है। तथापि, 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में अधिकांश यूटिलिटीज द्वारा हाइडिल उत्पादन काफी कम रहा है।

थर्मल उत्पादन में अधिक वृद्धि दर्शाने वाली यूटिलिटीज में एपी जेनको, एमएसपीजीसीएल, एमपीपीजीसीएल, जेएसईबी तथा टीवीएनएल शामिल हैं।

(अनुबंध 4.2.1 से 4.2.3)

4.3 विद्युत क्रय (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा)

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज द्वारा क्रय किया गया विद्युत 2011-12 में 7,44,212 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 7,86,822 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा हो गया जो 5.72 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

(अनुबंध 4.6.0)

4.4 विद्युत की बिक्री (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा)

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए विद्युत की बिक्री वर्ष 2011-12 में 6,24,951 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 6,57,629 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा हो गई जो 5.23 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

(अनुबंध - 4.8.0)

4.5 सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षति (एटीएंडसी)

एटीएंडसी क्षति की गणना के लिए प्रणाली विज्ञान को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से तैयार किया गया है। एटीएंडसी क्षति बिक्री के लिए उपलब्ध ऊर्जा (ऊर्जा में पारेषण क्षति एवं ट्रेडिंग के लिए समायोजित) (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) तथा वसूली गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा के बीच अंतर को दर्शाती है और तद्नुसार इसे रिपोर्ट में यूटिलिटीज के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में अपनाया गया है। वसूली गई ऊर्जा संग्रहण दक्षता के आधार पर निर्धारित (ऊर्जा में ट्रेडिंग के लिए समायोजित) (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) ऊर्जा है। संग्रहण दक्षता वर्तमान एवं पिछले वर्षों की बिलिंग की वसूली में दक्षता का सूचकांक है तथा अनिवार्य रूप से प्राप्य राशि के वर्ष दर वर्ष मूवमेंट पर बल देती है।

उल्लेखनीय है कि सभी राज्यों में अभी भी ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या काफी है जहां मीटर नहीं लगे हैं तथा एटीएंडसी क्षति की गणना के लिए वार्षिक लेखाओं में सारवान सूचना उपलब्ध नहीं है। यह सूचना यूटिलिटीज से प्राप्त की गई है। इस प्रकार एटीएंडसी क्षति से संबंधित सूचना का प्रयोग करते समय समुचित अध्यवसाय का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।

4.5.1 एटीएंडसी क्षति

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए औसत एटीएंडसी क्षति (प्रतिशत) राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2011-12 में 26.63 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 25.38 प्रतिशत हो गई। समग्र संग्रहण दक्षता 2011-12 में 93.19 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 94.35 प्रतिशत हो गई।

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटीज के लिए वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए क्षेत्रवार औसत एटीएंडसी क्षति नीचे दी गई है :

प्रतिशत

क्षेत्र	**2011-12**	**2012-13**
पूर्वी क्षेत्र	41.80	42.06
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	35.15	37.60
उत्तरी क्षेत्र	30.34	28.84
दक्षिणी क्षेत्र	18.89	17.24
पश्चिमी	24.81	23.36
राष्ट्रीय	**26.63**	**25.38**

वर्ष 2012-13 के लिए सभी क्षेत्रों में दक्षिणी क्षेत्र 17.24 प्रतिशत के साथ सबसे कम एटीएंडसी क्षति वाला क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में एटीएंडसी क्षति में वृद्धि हुई है।

(अनुबंध 4.7.1 से 4.7.3)

निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में एटीएंडसी क्षति में सुधार हुआ है :

कटौती का प्रतिशत	**राज्यों की संख्या**	**राज्य का नाम**
0-2 प्रतिशत	6	ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गोवा एवं तमिलनाडु
2-4 प्रतिशत	4	छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड और कर्नाटक
4 प्रतिशत से अधिक	10	मेघालय, जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और बिहार

ऐसे राज्यों तथा प्रतिशत के रूप में वृद्धि के स्तर का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिनमें वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में एटीएंडसी क्षति में वृद्धि हुई है :

वृद्धि का प्रतिशत	**राज्यों की संख्या**	**राज्य का नाम**

0-2 प्रतिशत	5	त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
2-4 प्रतिशत	1	असम
4 प्रतिशत एवं अधिक	4	हरियाणा, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड

(अनुबंध 4.7.1 से 4.7.3)

अध्याय 5

उपभोग के पैटर्न तथा राजस्व में अंशदान का विश्लेषण

5.0 प्रस्तावना

इस खंड में मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा तथा रुपए की दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिक्री का विस्तृत विश्लेषण, कुल बिक्री में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का शेयर, उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार राजस्व आदि दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सभी राज्यों में उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों में ऐसे असंख्य उपभोक्ता हैं जहां अभी तक मीटर नहीं लगे हैं। इसके अलावा वार्षिक लेखाओं में अधिकांश मामलों में सूचना उपलब्ध नहीं है तथा यूटिलिटीज से प्राप्त की गई है। इस प्रकार इस अध्याय में प्रदान की गई सूचना तथा इसमें उल्लिखित सारणियों का प्रयोग करते समय समुचित अध्यवसाय का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।

5.1 विद्युत की बिक्री

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली सभी यूटिलिटीज द्वारा बेची गई ऊर्जा वर्ष 2011-12 में 6,24,951 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 6,57,629 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा हो गई जो 5.23 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और दिल्ली ने बिक्री (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की।

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, बेची गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) में 5.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परंतु विद्युत की बिक्री से राजस्व की वसूली वर्ष 2011-12 में 241217 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 288632 करोड़ रुपए हो गई है जो 19.66 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है जो बेहतर राजस्व वसूली का द्योतक है।

(अनुबंध 1.1.0)

निम्नलिखित खंडों में बिक्री के विभिन्न पैरामीटरों पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

5.2 विश्लेषण में कवरेज

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली सभी यूटिलिटीज द्वारा बेची गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा में) वर्ष 2010-11 में 5,80,997 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा, वर्ष 2011-12 में 6,24,951 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा और 2012-13 में 6,57,629 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा थी। उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार ऊर्जा की बिक्री (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) के ब्यौरे वर्ष 2010-11 में 559546 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा (कुल ऊर्जा बिक्री का 96 प्रतिशत), 2011-12 में 570610 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा (कुल ऊर्जा बिक्री का 91 प्रतिशत) और 2012-13 में 624052 मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा (कुल ऊर्जा बिक्री का 95 प्रतिशत) के लिए उपलब्ध हैं। इसी तरह विद्युत की बिक्री से राजस्व वर्ष 2010-11 के लिए 2,07,927 करोड़ रुपए, 2011-12 के लिए 2,41,217 करोड़ रुपए और 2012-13 के लिए 2,88,632 करोड़ रुपए था। उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार ब्यौरे 2010-11 के लिए 2,07,925 करोड़ रुपए (विद्युत की बिक्री से राजस्व का 100 प्रतिशत), 2011-12 के लिए 2,21,215 करोड़ रुपए (विद्युत की बिक्री से राजस्व का 92 प्रतिशत) और 2012-13 के लिए 2,81,606 करोड़ रुपए (विद्युत की बिक्री से राजस्व का 98 प्रतिशत) के लिए उपलब्ध हैं। दिया गया विश्लेषण उपलब्ध सूचना पर आधारित है।

5.3 कृषि उपभोक्ताओं को बिक्री

वर्ष 2012-13 के दौरान कुल बेची गई ऊर्जा में कृषि उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) का शेयर लगभग 23 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 में कुल राजस्व में कृषि उपभोक्ताओं से राजस्व का शेयर लगभग 8 प्रतिशत था।

(अनुबंध 5.5.1 एवं 5.6.1)

5.4 औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री

वर्ष 2012-13 में कुल बेची गई ऊर्जा में औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) का शेयर लगभग 30 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल राजस्व में औद्योगिक उपभोक्ताओं से राजस्व का शेयर लगभग 41 प्रतिशत था।

(अनुबंध 5.5.1 एवं 5.6.1)

5.5 क्रॉस सब्सिडी

वर्ष 2012-13 में कृषि उपभोग की बहुलता वाली यूटिलिटीज के लिए क्रॉस सब्सिडी का स्तर औद्योगिक एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए आहरित राजस्व की तुलना में बेची गई ऊर्जा की मात्रा के तुलनात्मक विश्लेषण पर उत्पन्न हुआ है।

राज्य	कृषि	कृषि	औद्योगिक	औद्योगिक

	(कुल बेची गई ऊर्जा का प्रतिशत - मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा)	(कुल राजस्व का प्रतिशत - करोड़ रुपए)	(कुल बेची गई ऊर्जा का प्रतिशत - मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा)	(कुल राजस्व का प्रतिशत - करोड़ रुपए)
हरियाणा	29 प्रतिशत	3 प्रतिशत	27 प्रतिशत	36 प्रतिशत
कर्नाटक	37 प्रतिशत	21 प्रतिशत	22 प्रतिशत	29 प्रतिशत
राजस्थान	43 प्रतिशत	21 प्रतिशत	23 प्रतिशत	35 प्रतिशत
पंजाब	29 प्रतिशत	-	34 प्रतिशत	52 प्रतिशत
आंध्र प्रदेश (एपीईपीडीसीएल को छोड़कर)	31 प्रतिशत	1 प्रतिशत	29 प्रतिशत	41 प्रतिशत
महाराष्ट्र	25 प्रतिशत	12 प्रतिशत	43 प्रतिशत	44 प्रतिशत
गुजरात	26 प्रतिशत	13 प्रतिशत	42 प्रतिशत	57 प्रतिशत
तमिलनाडु	21 प्रतिशत	-	24 प्रतिशत	51 प्रतिशत
मध्य प्रदेश	34 प्रतिशत	14 प्रतिशत	24 प्रतिशत	40 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	18 प्रतिशत*	7 प्रतिशत	15 प्रतिशत*	42 प्रतिशत

* पश्चिमांचल वीवीएनएल के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त सारणी औद्योगिक उपभोक्ताओं से कृषि उपभोक्ताओं को क्रॉस सब्सिडी के स्तर को दर्शाती है।

5.6 उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार ब्यौरे :

उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार बेची गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा) और राजस्व (करोड़

रुपए) के ब्यौरों के लिए कृपया अनुबंध 5.2.1 से 5.2.9 देखें।

कुल बेची गई ऊर्जा / ऊर्जा राजस्व (मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा तथा रुपए की दृष्टि से) में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के शेयर का प्रतिशत अनुबंध 5.3.1 से 5.3.6 के रूप में संलग्न है।

अध्याय 6

सुधारों तथा पुनर्गठन की स्थिति

6.0 प्रस्तावना

भारत सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि विकास तथा गरीबी उन्मूलन के लिए दक्ष, लोचपूर्ण एवं वित्तीय दृष्टि से मजबूत विद्युत क्षेत्र आवश्यक है। विद्युत का उत्पादन बढ़ाने तथा वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद परिवेश में व्यापक रूप से विभाजित भौगोलिक सीमाओं को विद्युत उपलब्ध कराने की दृष्टि से विद्युत क्षेत्र में विकास के लिए अनेक नीतियां शुरू की गई हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों के अलग उत्पादन, वितरण एवं पारेषण यूनिटों में विभाजन तथा विनियामक आयोगों की स्थापना के माध्यम से सुधार शुरू किए गए हैं। इस खंड में विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र में सुधारों की स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

6.1 31 मई 2014 की स्थिति के अनुसार सुधारों की स्थिति

- सभी राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन किया गया है। दो संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचित किए गए हैं, एक मिजोरम एवं मणिपुर के राज्यों के लिए और दूसरा गोवा तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली और पुड्डूचेरी के लिए।

- सभी राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को क्रियाशील किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए गठित जेईआरसी को भी क्रियाशील किया गया है।

- 20 राज्यों ने अपनी यूटिलिटीज को विच्छिन्न किया है। त्रिपुरा विद्युत विभाग को त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड को केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया है।

31 मई 2014 की स्थिति के अनुसार सुधारों तथा पुनर्गठन की विस्तृत स्थिति सारणी 3 के रूप में संलग्न है।

सारणी 3 - 31 मई 2014 की स्थिति के अनुसार राज्यों में सुधारों तथा पुनर्गठन की स्थिति

	मील पत्थर	अरुणाचल प्रदेश	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	दिल्ली	गुजरात	गोवा	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मेघालय	मणिपुर	मिजोरम	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	नागालैंड	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	पश्चिम बंगाल	कुल
1.0	**एसईआरसी**																														
क	गठित	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	**29**
ख	क्रियाशील	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	**29**
ग	ओपन अक्सेस विनियम	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	**28**
2.0	विच्छिन्नता / निगमन																														

क	विच्छिन्नता / निगमन - कार्यान्वयन																															**20**
ख	वितरण का निजीकरण																															**2**

टिप्पणी :

* त्रिपुरा विद्युत विभाग को त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड को केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया है।

निम्नलिखित के लिए जेईआरसी का गठन किया गया है : (1) मणिपुर एवं मिजोरम; (2) संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

संक्षेपाक्षरों की सूची

एईजीसीएल = असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एपीसीपीडीसीएल = आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
एपीईपीडीसीएल = आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
एपीजीसीएल = असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एपीएनपीडीसीएल = आंध्र प्रदेश नार्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
एपीएसपीडीसीएल = आंध्र प्रदेश साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
अपट्रांसको = आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एवीवीएनएल = अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
एपीडीसीएल = असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
अपजेनको = आंध्र प्रदेश जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बेसकॉम = बंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
बीएसईबी = बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
बीएसपीजीसीएल = बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
बीएसपीटीसीएल = बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
सीईएसयू = सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी ऑफ उड़ीसा
चेसकॉम = चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
सीपीएसयू = केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीएसपीडीसीएल = छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
सीएसपीजीसीएल = छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
सीएसपीटीसीएल = छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
डीई अनुपात = ऋण इक्विटी अनुपात
डीजीवीसीएल = दक्षिण गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
डीएचबीवीएनएल = दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डिसकॉम = वितरण कंपनी
डीवीवीएनएल = दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
डीएससीआर = डेट सर्विस कवरेज रेशियो
ईडी / पीडी = विद्युत विभाग / विद्युत विभाग
जीएसईसीएल = गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
गेसकॉम = गुलबर्ग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
ग्रिडको = ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड
गेटको = गुजरात इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एचपीजीसीएल = हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हेसकॉम = हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड

एचपीएसईबी = हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड
एचपीएसईबी लिमिटेड = हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड
आईसीएआई = भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईपीपी = स्वतंत्र विद्युत उत्पादक
आईपीसीएल = इंद्रप्रस्थ पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
जेडीवीवीएनएल = जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जेएसईबी = झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड
जेवीवीएनएल = जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जेएंडके पीडीडी = जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास विभाग
जेएंडके पीडीसीएल = जम्मू एंड कश्मीर पावर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
केपीसीएल = कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
केपीटीसीएल = कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
केएसईबी = केरल राज्य विद्युत बोर्ड
केसको = कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
मेसकॉम = मंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड
एमजीवीसीएल = मध्य गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
एमपीपीजीसीएल = मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
एमपीपीटीसीएल = मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल = एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल = एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एमपी
पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल = एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एमएसईडीसीएल = महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
एमएसपीजीसीएल = महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
एमएसईटीसीएल = महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
एमईएसईबी एमईईसीएल = मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड
एमईपीडीसीएल = मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एमईपीजीसीएल = मेघालय पावर वितरण कंपनी लिमिटेड
एमईपीटीसीएल = मेघालय पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
एमवीवीएनएल = मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
एमडब्ल्यू = मेगावाट
एमकेडब्ल्यूएच = मिलियन किलोवाट प्रतिघंटा
एमयू = मिलियन यूनिट (किलोवाट प्रतिघंटा)
एमओपी = विद्युत मंत्रालय
नेसको = नार्दर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड
एनबीपीडीसीएल = नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

ओएचपीसी = उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ओपीजीसीएल = उड़ीसा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
ओपीटीसीएल = उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
पीजीवीसीएल = पश्चिम गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
पीपीसीएल = प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पीएसईबी = पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड
पीएसपीसीएल = पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पूर्व वीवीएनएल = पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पश्चिम वीवीएनएल = पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पीएलएफ = प्लांट लोड फैक्टर
आर-एपीडीआरपी = पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
आरओसीई = प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल
आरओई = इक्विटी पर प्रतिफल
आरओआर = वर्ष के शुरू में अगली अचल परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर
आरओएनडब्ल्यू = निवल मूल्य पर प्रतिफल
आरपी = संसाधन योजना
आरआरवीयूएनएल = राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
आरआरवीपीएनएल = राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
आरएंडएम = जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण
एसबीपीडीसीएल = साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
एसईबी = राज्य विद्युत बोर्ड
एसईआरसी = राज्य विद्युत विनियामक आयोग
सेसको = साउदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड
टीएनईबी = तमिलनाडु विद्युत बोर्ड
टैनजेडको = तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
टैनट्रांसको = तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
टीपीडीडीएल = टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड
टीवीएनएल = टेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड
यूजीवीसीएल = उत्तर गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड
यूएचबीवीएनएल = उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
यूजेवीएनएल = उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड
यूपीआरवीयूएनएल = उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
यूपीजेवीएनएल = उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
यूपीपीसीएल = उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
यूपीपीटीसीएल = उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

यूटी पीसीएल = उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
यूटी ट्रांसको = उत्तराखंड ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
यूटी = संघ राज्य क्षेत्र

डब्ल्यूबीपीडीसीएल	=	वेस्ट बंगाल पावर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
डब्ल्यूबीएसईबी	=	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	=	वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	=	वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
वेसको	=	वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड
करोड़ रुपए	=	10 मिलियन रुपए